उपसमापित : मैं तो 10 साल से कमेटी की मैंम्बर हूं। 1985 में मैंम्बर बनी थी। कई मंत्री बदले, अब फेसरी जी ने किया।

श्री श्रगबीश प्रसाद सायुर (उत्तर प्रदेश) : भाष वाकिक हो गई हैं (अवस्थान)

उपसमापति : मैं वाकिफ हो गई हूं इसके लिए । बोलिये मंत्री जो ।

कल्याचं मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : महोदया, मैं प्रस्ताव करगा हूं कि--

er er er er er er diktaming ver generalle

"वक्फों के बेहतर प्रशासन और तत्तंसकत या उसके आनुवांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेषक पर विचार किया आए"

उपसमापति महोदया, मैं प्राज इस दक्फ बिल के प्रस्ताव को इस सदम के सामने विचार के लिए प्रस्तावित कर रहा हूं। इस संबंध में हमारे कांग्रेस दल ने 1991 में ग्रपने चुनाव घोषणा-पत्न में घोषणा की थी। इसलिए म ग्राज प्रस्ताव करता हूं कि वक्फ के कुशल प्रशासन से संबंधित या ग्रनुक्प विषयों का प्रावधान करने बाले विवेयक पर विचार किया आएं।

महोदया, 1991 के लोक तभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव घोषणा-पत्न में हमने वायदा किया था कि हम इस बक्फ प्रधिनियम की समीक्षा के बाद संशोधन कर के इसे और भी कारगर बनाएंगे 1 1991 में कल्याण मंत्रालय का कार्यभार लेते हुए मेंने इस दिशा में कार्यवाही शुरु कर के इस मुद्दे पर माननीय मुसलमान भाइयों, संसद् सदस्यों, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के मुस्लिम सदस्यों; मुस्लिम समुदाय के भन्य गणमान्य नेताओं के साथ ब्यापक विचार किया और इसमें काफी समय लगा । महोदया, मैं स्मरण कराना चाहूंगा

कि मुसलमान वक्फ ग्रधिनियम 1923 वक्फ अधिनियम 1954 के द्वारा प्रति स्थापित किया गया । यक्फ अधि नियम 1954 का मूल प्रयोजन देश में वक्फ सम्पत्तियों को कुशल प्रशासन प्रदास करना था । फिर भो 1954 ने अधिनियम को लागुहोने के तत्काल बाद हो इसके विभिन्न प्रावधानों के पिरुद्ध प्रतिवेदन एवं न्नापत्तियां श्रानी शुरु हो गयी। इस श्रधि-नियम के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए इस कानुम में 1959, 1964 एवं 1969 में संशोधन किए गए। वक्फ संझोधनों विद्येयक, 1969 पर विचार विमर्श के दौरान संसद में जोत्दार मांग की गयी कि देश में वक्फ प्रशासन के समग्र कार्य-करण का एक समिति द्वारा गहराई से ग्रध्ययन किया जाए। श्रतः सरकार ने इस प्रयोजन के लिए दिसम्बर 1970 में श्री सैयद अहमद की ग्रध्यक्षता मैं एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया । इस समित ने 1973 की अवनी अंतरिम रिपोर्ट एंब 1976 की अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से अनेक अनुशंसाएं की ।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस सदन में वक्फ संशोधन विधेयक, 1984 लाया गया। में स्मरण कराना नाहूंगा कि जब इस विधेयक पर विनार विमर्ग हो रहा था तो कुछ माननीय सरस्यों ने इसके प्रावधानो पर घोर आपत्तियां दर्ज की थीं वक्फ जिनमें वक्फ आयुक्त की वक्फ बोर्ड के निरस्त करने का श्रिषकार न होने एवं राज्यों को वक्फ बोर्डों के कार्यों में दखलदाजी न करने का सुझाव विया गया ताकि उनकी स्वायत्ता, प्राटोनामी बरकरार रह सके। हालांकि वक्स्ने संशोधन विवेयक, 1954 इस सदन द्वारा पारित किया गया था लेकित इसके सिर्फ दो प्रावधानों को ही लागू किया गया।

मतः वन्फ कानून के प्रावधानों में सर्वसम्मति बनाने के उद्देश्य से 1980 के दशक में एक गहन बानी गन्मीर प्रयास शुरु किया गया । कत्याण मंत्रालय का कार्यभार प्रहण करने के बाद मैंने इस दिशा में, जैसाकि मैंने ग्रमी कहा कि मैंने माननीय मुस्लिम संमुद्दाय के प्रत्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ विस्तृत वार्ताएं की तथा इस सर्वध के साथ विस्तृत वार्ताएं की तथा इस सर्वध के साथ विस्तृत वार्ताएं की तथा इस सर्वध के

राज्य सरकारों में वक्फ के प्रभारी मंतियों का एक सम्मेलन जून, 1992 में भायोजित किया।

मुझे प्रसन्तता है कि इस संदर्भ में विस्तृत बातचीत के फलस्वरूप हम कुछ ठोस निष्कर्वो पर पहुंचे ग्रौर इसी के ग्राधार पर यह विशेयक बनाकर इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस विशेयक में जम्मू-काश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ध्वफ कानून को एक समान रूप में लागू करने का प्राध्धान किया गया है।

इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों का सारांश संलग्न "उद्देश्यों एवं कारगों" के विवरण में देखा जा सकता है। फिर भी, में इस विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताओं की थ्रोर सदन का ध्यान श्राहण्ट करना चाहुंगा। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों को भीर अधिक लोकतांतिक, डेमोकेटिक बनाना है। वक्फ बोर्डों के अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन संबंधित निविचन संबंधित निविचन संबंधित निविचन संबंधित विधायक, राज्य अधिवक्ता, परिषद और मुत्विल्यों के सदस्यगण शामिल होंगे, जिनको थाय एक लाख कपये वार्षिक अथवा इससे अधिक होंगी।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि
मैंने इस विधेयक में संशोधन के लिए एक
नोटिस भेजा है। हम केंद्रीय वक्फ परिषद
में ब्रखिल भारतीय मुस्लिम संगठनों के
प्रतिनिधि राष्ट्रीय ख्याति के प्रशासक और
ब्रिशिक मामलों में सक्षम व्यक्ति, लोक
सभा एवं राज्य सभा के मुस्लिम सांसदगण,
तीन बक्फ बोर्डों के श्रव्यक्षों में से एक
बारी बारी से, उच्च न्यायालय तथा
उच्चतम न्यायालय के श्रवकाण प्राप्त
न्यायाधीशों श्रादि को नामित, नामीनेट
करेंगे, जिससे यह परिषद सुविस्तृत निकाय
बनकर मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों का
प्रतिनिधित्व कर सके।

महोध्य, वक्फ आयुक्त एवं वक्फ बोर्डो की गोर्फशर्मी को लेकर बहुत विवाद रह है। ग्रतः हमने इस विवाद को खत्म करने के लिए विधेयक में उपयुक्त प्रावधान किया है। ग्रव बक्फ श्रायुक्त का नामकरण मुख्य ग्रधिशासी ग्रधिकारी कंग दिया गया हैं ग्रीर उसे ज्यादातर मामलों में वक्फ भोड़े के ग्रधीन रखा गया है।

मानर्नाय सदस्य जानते हैं कि श्रधिकांश वक्फ बोर्डों की माली हालत बहुत कमजोर है। वे श्रपने कर्मचारियों का वेतन देने की स्थिति में भी नहीं हैं। इसलिए इस विधेयक के पारित होने के पश्चात मुझे श्राशा है कि वक्फ बोर्डों की माली हालत में सुधार होगा।

इस विधेयक में वक्फ अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है ताकि वक्फ संपत्तियों से संबंधित दीवानी विवादों का शीझातिशीझ निपटारा हो सके और वक्फ संपत्तियों को बेवजह की मुकदमेंबाजी का शिकार न होना पड़े। इस विधेयक के पारित होने से वक्फ संपत्तियों का लेखा-जोखा भी व्यवस्थित ढंग से संभव हो सकेगा।

महोदया, मैंने इस विधेयक की मुख्य-मध्य विशेषताश्रों की स्रोर माननीय सदस्यों का घ्यान ग्राकृष्ट किया है । माननीय सदस्य विधेयक पर चर्चा के दौरान जं भी रचनात्मक मुझाव देंगे, उनका स्वागत है। मैं माननीय सदस्यों को एतः आक्वास्त करना चाहंगा कि इस विधेयक को विस्तत चर्चाओं एवं विचारों के स्रादान-प्रदान के पश्चात बनाया गया है श्रीर जहां तक समय था, हमने इसमें सर्वसम्मत सुझावों को शामिल किया है ताकि इस कानून के माध्यम से हम वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को बेहतर बनाकर वक्फ बोर्डो को समृद्ध बना सकें। मुझे विश्वास है कि वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रशासन ग्रीर सद्पयोग से वक्फ बोर्डों की ग्राय में इजाफा होगा जिससे मुस्लिम समुदाय का विकास संभव हो सकेगा।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विदेशक को संसद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का निवेदन करता हूं।

श्रीराम रतन राम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी वक्फ बिल को 10 साल के उपरांत माननीय मंत्री श्री केसरी जी ने सदन में प्रस्तूत किया है। इसके बारे में काफी मशक्कत करनी पड़ी, सलाह लेने पड़े, मीटिंग करनी पड़ी, इसके उपरांत यह बिल इस सदन में ग्राया जिसके लिए में माननीय मंत्री जी की बधाई देना चाहता हूं। इस विल में पहले जो दिल षा वह शायद 1954 उसके बाद 15 साल के ग्रंदर 1959, 1964 श्रौर 1969 में ग्रमेंडमेंट हुए थे। फिर भी लोगों को सन्तोष नहीं हुग्रा । ग्ररबों की सम्पात वक्फ के ग्रंतर्गत ग्राती है ग्रौर जहां सम्पत्ति होती है वहां मुकदमें भी होते हैं। जहां ग्ररबों की संपत्ति होगी वहां लाखों में या सैंकड़ों में, हजारों में मुकदमें भी सपत्ति के लिए चल रहे हैं।

A wakf extinguishes the right of the wakf or the dedicator and transfers the ownership to God. All rights of the property vest in the Almighty. The mutawalli is the managers of the wakf. This is the definition. On this basis, you have got the property. (Interruptions) I was just saying that the mutawalli is only, the manager of the wakf property. All, property. (Interruptions)

I was just saying that the mutawalli is only the mangaer of the wakf property. All his right of ownership extinguishes and vests in the Almighty. With this end in view.

खहां पर अरबों की सपत्ति हैं हजारों के सुकदमें चल रहे हैं वास्तव में यह जरुरी हो आता है कि इनके इंतजाम के लिए ऐसे बिल बनाए जाएं, ऐसे कानून बनाए जाएं, जिससे कि उनका अच्छा इंतजाम हो सके उसकी मलाई हो सके क्योंकि वक्फ की प्रापर्टी लोगों की भलाई के लिए दी जाती है आर्मिक कार्य के लिए दी जाती है और जिससे गरीबों का भला हो सके और भलाई के काम हो सकें । इसमें में बोड़ा सा अमेंडमेंट लाया हं । क्लाज़ 3 की परिभाषा में, वैनिफिशरी की डेफिनीशन में ।

"Not being an authorised occupant, tenant or lessee in the wakf."

जिस से कि इसमें ग्रन-श्रयॉराइज्ड लोगों को बैनिफिट न मिल सके । जो एनकॉचमेंट कर के रह रहे हों, ऐसे लोगों को बैनेफिट से वंचित रखा जाए ।

In Clause 3(r) "wakf" means a permanent dedication by a member professing Islam having movable or immovable property, including pro. perty attached and business profit accrued thereon."

महोदया कभी-कभी वक्फ प्रॉपर्टी के साथ दुकाने बनायी जाती हैं। उन का किराया मुताबल्ली खुद लेता है और वक्फ उस को शो नहीं करता। इसलिए उस कमी के. दूर करने के लिए मैंने सजेशन दिया हैं कि जो प्रॉपर्टी बक्फ के साथ अटैंच्ड हो, दुकानें बनी हों और जिन का कि रेंट वसूल किया जा रहा हो, वह भी वक्फ के अंगंत आ जायें। उसी प्रकार से शाट्स में, ग्रांट्स के साथ ही—

'In "grants", including mashrut-ul-khidmat for any purpose. Grant made verbally or through any deed, instruments in writing by a person."

इस को मैंने एड करने के लिए मुझाव दिया है।

In Clause 6, page 5, paragraph 5:

"On and from the commencement of the Act in a State, no suit or other legal proceeding shall be instituted or commenced in a court in that State in relation to any question referred to in subsection (1)."

उस में "ग्र" मेंने एड करने के लिए सुसाव दिया है।

"When all cases of Wakf property pending in the court of law, rent court, slum court should be trans, ferred to the tribunal, मैडम, ग्रभी दिल्ली किराया संबंधी जो बिल ग्राया था, उस में 3(एच) में यह लिखा हुग्रा है कि रिलोजियस या ट्रस्ट्स की प्रायटींज रेंट के परव्यू से बाहर रखा जाएगी । उसी भ्रनुसार मेंने यह सजेशन दिया है कि जितन भी रेंट के केसेज हैं जितने भी सिबिल कोर्ट के केसेज हैं, स्लम के केसेज हैं, वह ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर हो जाए ।

मैहम, इसमें 14 क्लॉज में मेंबरिशय की बात कहा बयी है ---

14. (1) The Board for a State and the Union Territory of Delhi shall consist of—

(a) a Chairperson.

उसमें एक ग्रायटम छोटा हुन्ना है । मेरा सजेगन यह है कि जो लाग सजस्ट किए गए हैं उन में

On© Member to be nominated by the State Government representing the Sajjada Nashin

जितने भी दरगाह हैं उनमें इम्पोर्टेन्ट लोग रहते हैं धार्मिकलोग रहते हैं। उनके भी भीग उनमें से नोमिनेट किए जाएं तो उससे काफी कमी पूरी हो जाएगी।

"No suit or other legal proceedings shall lie in any civil court in respect of any dispute question or other matter relating to any wakf, wakf property or other matter which is required by or under this Act to be determined by a Tribunal."

इसमें रेण्ट कोर्ट ग्रौर स्लम कोर्ट की भी एँड करने की ग्रमेंडमेंट मैंने दी हुई है। फिर, लिमिटेशन के बारे में जो क्लॉज 108 में दिया हुग्रा है—

"Notwithstanding anything contained in the limitation Act, 1963, the period of limitation for any suit of possession of immovable property comprised in any wakf or possession of any interent in such property shall be a period of thirty years •••".

इसमें मेरा कहना यह है कि

The period of limitation shall not apply.

यह इसमें जोड़ा जाए । जो इसमें 30 ईयर का दिया हुन्ना है, उसको जगह पर किया जाए---

"For such properties, the period of limitation shall not apply."

इस क्लॉज में जो ब्राखिरी सेण्टेन्स है लाइन 29 से 31 तक, इसको म्रोमिट किया जाए ।

इन्हीं सुझावों के साथ है प्रपनी बात खतम करता हूं।

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Madam Deputy Chairman, I welcome the Wakf Bill, 1993 and I congratulate the hon. prime Minister and the hon. Minister of Welfare, Shri Sitaram Kesriji, on bringing a comprehensive Bill which was promised in the election manifesto of the ruling party.

Madam, the Wakf law has been in force in this country for the last 40 years and for the first time, a comprehensive legislation was enacted in 1954 with an effort to bring all the Wakf properties under а common administration and the Wakf Board. Though the Wakf Act has been in force for the last 40 years, we have seen that the present Wakf Act has not achieved the purpose for which it was enacted. From 1970 onwards, an effort is being made to bring a comprehensive Bill. At last, after 25 years, we have seen a comprehensive legislation which would, to a greater extent, mitigate the difficulties faced bay the wakf administration.

A major problem of the wakf institutions is that properties worth thousand and lakhs of rupees, of

institutions, wakf are being ched upon; misused and are in illegal occupation. Unless the legislation ad dresses itself to removing the en croachment, illegal occupation, anv effort will not be of any use. I would like to mention here that Smt. Indira Gandhi, our late beloved Prime Min ister, had issued a direction in 1977 wakf properties which were en croached upon be freed from should encroachment and Government the encroached upon property. it should give back the property Wakf Board; and in case, it was not able to vacate the property en croached upon by it, the Government should compensate. I would like mention that these directions are not adhered to and, today, the largest encroachment of wakf properties is by the various State Governments and Central Government, I appeal Minister of Welfare to matter because thousands this under the properties are control or encroachment of the Government it. self. If they are this not Bill will not fulfil the entire aspira tions Muslims who want to that through the Wakf, properties developed and the income are rated is used for the educational and economic uplift of the community. With this direction in view. I have suggested a few amendments to Act.

The first amendment which I have suggested is to clause 20. This clause, in effect, provides that the Chairman can be removed if he refuses to act according to the State Government's direction. The very purpose of this Act is that there should be autonomy to the Wakf Board. But here, this clause provides that if the Chairman of the Wakf Board refuses to act on the direction of the State Government, he can be removed. It will affect the autonomy intended. Therefore, I have suggested that the words "re-

fuses to act" should be taken away. Now, the Chairman is elected by members and the Government can remove the Chairman; but the members who elect him have no power to remove him even by a majority. So, there should be a provision for enabling the members to pass a vote of no-confidence against the Chairman with at least two-thirds of the members of the Board. If such a vote of no-confidence is passed, the Chairman should be removed.

Then, whenever a vacancy arises for membership, the Government has the power to nominate a person. One of the important features of this Bill is that a democratic system has been introduced in which there are various categories of persons who will be elected. I have suggested that whenever a vacancy occurs, that vacancy should be filled by a person from the particular category to which the person who caused the vacancy belonged. For example, if the vacancy is caused by a person from the category of 'mutawalli', only a 'muta-walli' should be nominated; if the

acancy is from the category of elected representatives or legislators, only a legislator should be appointed or elected. This has not been looked into. This thing is missing in the Bill and this is one thing which I have suggested. Then, as the hon. Minister has rightly said, in this Bill, there is a provision that the Wakf Board property should be developed. If they are having properties, which are capable of being developed, the Wakf Board can give a notice to the Mutawalli that if he is not going to develop the property, then the Wakf Board can itself develop the same. Today, the Wakf Board does not have adequate infrastructure. They have to do a lot of administrative work. I have sugrested that the Government should make a provision in the Bill that the State

can create a Wakf Development Authorit; or a Wakf Development Corporation to develop the properties of the Wakf Board. Otherwise, the Wakf Board itself would not be able to raise resources for the development of the property and what is going on for the last forty years, will go on in future also. In this Bill, there is no provision for raising resources and the Wakf Board itself cannot raise resources. So, I have suggested that an authority should be created for the development of the Wakf Board's property.

Another amendment I have suggested is that now all the receipts of the Wakf Board will go into the Wakf Fund and all the expenditure will be incurred from that Fund. So, the Wakf Board will have no obligation or accountability. I would suggest that out of the total receipts, they should earmark a certain percentage of the fund for the educational upliftment of the community. Now, the entire amount which the Board is getting, will be credited to the fund and out of that, all the expenditure—administrative and expenses-will be incurred. There is no provision to show how the Wakf Board will be able to spend for various other activities if the fund is not reserved. For example, or the maintenance of a divorced woman, under the Act; there is an obligation to pay through the Wakf Board. Now, from where is the Wakf Board going to pay unless it creates a special fund for that purpose? If they have to get the amount from the general fund, there will be no provision and the Wakf Board will not be able to meet educational obligation as well as this obligation.

Another aspect is that if the Wakf Board passes an order, then if the beneficiary is affected or whosoever is affected, they can appeal to the Government. Now, already the Wakf Tribunal has been created and a person can make a final appeal to the State Government only where he is not prohibited from going to the Tribunal. If you do not bring in that provision, a person will not go to the Tribunal but will go to the State Government by using the political influence and where he has to go to the Tribunal, he will go to the State Government and create a problem. So, I have suggested where there is no provision to go to the Appellate Tribunal, in such cases, the State Government should be approached for the purpose of appeal.

384

Another imortant amendment I have suggested is this. Now a single-member Tribunal has been created. There is only one member and no Tribunal, having a single member, can function effectively. So, my suggestion is that there should be at least three members in the Tribunal. One member should be a judicial member. The second member should be from the revenue side and should have knowledge of administration and the third one should be a person having deep knowledge of the Islamic law because it deals with various aspects of the Islamic laws. They will have to give decisions on the Islamic laws which are applicable to the various schools of thought. He should be a person who has the knowledge of all these laws and he should be an Advocate with at least ten years' standing with knowledge of Islamic laws' So, the Tribunal should have three members instead of a single member.

Madam, T am sure, the Government will consider some of these amendments which are very important for the effective implementation of this piece of legislation which is before this august House.

I once again welcome the Bill. It is a longstanding promise which the Government is fulfilling. I once again congratulate the Government. I support this Bin and appeal to the hon. Minister to consider the amendments which I have moved. (ends)

THE DEPUTY CHAIRMAN; Of course, the next speaker is Shri Afzal but Mr. Jagmohan has to attend a meeting. He wants to speak first.

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Madam, I have only one or two points to make. Thank you very much, Madam, for giving me time out of turn.

Madam, when the hon. Minister was speaking, it was mentioned that these were the advantages you want to achieve. One wag that it would make the working of our democratic system more accountable. It would have a more funded administration, a better run administration, better resources and better capacity to develop. Now all these points apply equally to Jammu and Kashmir properties. Why don't you extend this law there? Why don't you make those institutions also more democratic, more accountable and more resource-oriented? A law which is applicable to the rest of the Muslims, why shouldn't we make it applicable to those four million Muslims living in that State? I do not understand what the special thing is that is prevalent there so far as this aspect is coneerned. Therefore, my request is, since we are now having President's Rule, we are having Central legislation, we should extend this Act there. I know from my experience that quite a lot of properties are in the hands of some wakfs, there is a lot of litigation, there is a lot groupism and people are trying to control you know that it has a lot of income these wakfs like the Baba Rishi. But you know that it has a lot of income from Baba Rishi and that is being misused and there is a political tussle between people on this. So I would suggest that if you want to

insulate the administration of wakfs from politics, why don't you insulate them in Jammu and Kashmir also? Therefore, this is my suggestion and my request that you may extend this Act to Jammu and Kashmir also. It will give you a lot of benefit for the community> for the poor people of Jammu and Kashmir and for a better administration of those properties.

Jammu and Kashmir, as you know, Madam, is also a tourist-oriented economy and if we are able to develop those areas properly, it will fetch more income. For example, if you develop this Baba-Rishi properly, you will have a lot of tourist going to that area. It is a very beautiful spot, apart from the people going there for pilgrimage. I have always quoted an example of Vaishnodevi where three lakh people used to go earlier. Now forty lakh people go there. So, it has changed the economy of that region. A multiple effect has taken place. A number of hotels have come up. A number of transport vehicles have come up. So many facilities have come up, and, as you know, the sales tax revenue has gone up. Everything has gone up. You can run the administration better. If you go there now, you will find poor sanitary conditions and people do not go there. So, very many people will go there if you really set no a gold administrative system there. It has got so may other advantages, but you are aware of them.

Another point which I have got is about encroachments on these properties. In Delhi a large number of wakf properties are encroached upon. You may pass the Bill, but how are you going to secure a vacant possession of those properties? This is going to expose you to a lot if litigation. Unless you make arrangements within the law itself as to how to secure a speedy removal of encroachments and redevelopment of those properties, and unless you also set a Central principle of development of those properties, things will not improve.

There are historical monuments, religious monuments, and around: them there is a property. It should not be only commercial exploitation. You should create a better environment around those monuments so that their life is enhanced ,the whole area is redeveloped and a face-lift is given to various things and it becomes also a landmark in the city's developed area. This is the second point which I want to place before you.

The third point is particularly applicable to very remunerative properties which have been taken over by powerful people. Our friend was suggesting appointment of a development authority for this. The will not work because you have limited funds, and if you create authorities and spend your limited resources on those authorities, it will not do. All this can be developed in accordance with the approved plan of the Wakf Board on agency basis. You can always get this work done on agency basis through the CPWD, PWD, developmental corporations and municipal corporations wherever these agencies are there. Instead of creating a new machinery for small work here and there you can use these existing machineries and pay small amount as departmental charge and they will do your work. If you create some new machinery that will become a permanent liability on your resources. So, this is another suggestion which I would place before you. These are the four points, Madam, which I want to place before the House. Thank you very much for giving this opportunity cut of turn be made.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल (उत्तर प्रदेश): मैंडम् मैं तो यही कहूंगा कि बहुत देर की मेहरबां श्राते-श्राते श्री सीताराम केसरी जी को मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं इसलिए कि मैं एक पालियामेंट के मेम्बर की हैसियत से नहीं बल्कि जातीय हैसियत से इस बात को बहुत श्रच्छी तरह से जानता हूं कि केसरी जी पिछले तीन-चार साल से जब

भी हमने उनसे वक्फ के इस बिल की बात की. उन्होंने हमेशा एक ख्वाहिश जाहिर की कि पहले ब्राप लोग एक कर्नस तैयार कर लें श्रौर यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको श्रापकी स्वाहिश और मंशा मताबिक कानन को पास कराने में श्रापकी मदद करंगा । मेरा ख्याल है कि बहुत सी जगहों पर् मुझे एतराज करने में काई दिक्कत नहीं है कि हमसे कमियां हुई लेकिन केसरी जी ने हमको बार-बं.र खटखटा गा ग्रीर बार-बार तवज्जो दिखाई कि मैं इसको करना चाहता हूं । मीटिंग्स बलाई और मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा कंसेसस ज्यादातर लोगों से लेने की उन्होंने कोशिश की । हिन्दुस्तान में मुमलमानों की जो ग्रांरन्साइजेश. हैं, गुताबल्ली है. सज्जादा तशीन हजरात हैं, मुस्लिम पार्लियामेंट के मेंम्बर्ग है, एम.एल.ए. की हद तक और जो लोग पालियामेंट ग्रौर ग्रंसेंबलियों के बाहर हैं उन्हें भी उन्होंने कांटेक्ट किया श्रीर बात की । क्योंकि केसरी जी का जल्बा यड़ा जबर्दस्त है और मैं उनके मृह पर नहीं बल्कि सारे देश को यह बात कहना बाहता हूं कि इस बिल के म्रंदर भी काफी कमियां हैं स्रोर उसकी तरफ ग्रभी रहमान भाई ने इशारा किया ग्रौर उन्होंने कुछ भ्रमेंडमेंट्स भी मुद्र किए हैं श्रीर मैं समझता हं कि केसरी जी उन पर भी हमदर्दी से गौर करेंगे । अगर काबिले कब्ल हों तो उन्हें जरुर शामिल कर लें। लेकिन मैं ग्राज यहां बोलते हुए जहां केसरी जी का शुक्रिया ग्रदा करता हं कि क्ष यह बिल लेकर ग्राए हैं ग्रीर जिससे हमें उम्मीद हो चली है कि शायद इक्फ की हालत बेहतर होगी, वहीं मुझे इस सदन के द्वारा और हाउस के जरिए देश के म्सलमानों को भी एक बात कहनी है कि ब्रगर यक्फ की करोडों-करोडों रुपये की इमलाक की तबाही का सबब कहीं-कहीं सरकार हुई है तो इस तबाही का सबसे बड़ा सबब वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग भी रहे हैं। सरकारी तौर पर में यह समझता हं कि वक्फ की इमलाक के साथ नाइंसाफी हुई है लेकिन बोर्ड सब जगह बने हुए हैं। ग्रफसोस का मकाम यह है कि कुछ रियासतों को छोड़कर जैसे में कर्नाटक की मिसाल दे सकता हुं ज्यादातर सुबों के ग्रंदर जो वक्फ बोर्ड बनाए जाते

हैं उसमें सियासी जमातों का ग्रौर वहां के सियासतदानों का उन टोर्डस को बनाने में बड़ा हाथ रहता है। सीधे-सीधे नॉमीनेशन्स होते हैं लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं किया जाता कि यह मुसलमानों का बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अहम इदारा है जिसके जरिए उनकी हालत को, माशी हालत को उनकी समाजी हालत को और उनकी तालीमी हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अफसोस है, मैं दिल्ली की बात् करता हूं। पिछले 30-40 साल से बोर्ड के मेबर्स की लिस्ट ग्राप उठाकर देख लीजिए कि उसमें ऐसे लोगों को, जो भी सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है ऐसे लोगों को वैक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है जिन्हें सियासी तौर पर उनके गुरु कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते । जब कुछ अगह नहीं मिलती उनको देने के लिए तब कहते हैं कि चलो तम्हें बक्फ बोर्ड का मेंबर बना देते हैं। जो सतही लोग हैं जो जहनी तौर पर यह समझ नहीं सकते कि वक्फ का क्या मायने हैं श्रौर वक्फ का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कम्यूनिटी के बैटरमेंट के लिए उन लोगों को बना दिया जाता है। नवीजा यह ोता है कि करोड़ों की प्रापटीं भौर भ्ररबों की प्रापर्टी, जिनकी करोड़ों की ग्रामदनी चाहिए, उनकी हजा ें की श्रामदनी भी नहीं होती । चंद घर भर जते हैं और पूरा वक्फ जो है वह बरबाद हो जन्ता है । दिल्ली इसकी जिंदा मिसाल है। लेकिन सरकार की तरक से भी बहुत सारे एकद मात ऐसे होते हैं जो बड़े ग्रफसोसनाक हैं। में एक छोटी सी मिसाल देना जाहता हूं । दिल्ली में म्राज **दक्फ** की बहुत बड़ी संख्या में प्रापर्टीज हैं भ्रौर बहुत सरी लैंड हैं। भायद हमारे बहुत सारे मेंबरान यह बात नहीं जानते कि यहां दिल्ली में एक फाइव स्टार होटल, जो निजामुद्दीन के करीब हैं, वह वक्फ की अमीन पर बना हुआ है। दिल्ली का एक बड़ा पब्लिक स्कूल जो निजामुद्दीन में ही है, वह बक्फे की प्रोपर्टी पर बना हुआ है। मैं नहीं कह सकता कि जिस बक्त इन लोगों ने उसको भ्रपने नाम किया या किराए पर लिया, उस बक्त क्या तरीका अपनाया । उस वक्त

भी यह भीन लैंड या और डी 0डी 0ए0 के मुतः विक ये जमीनें ग्रीन लैंड थीं जिन पर कोई कन्सट्टेक्शन नहीं की जा सकती थी । लेकिन सलेक्टिव हारीके से कंसट्क्शन कर लिया गया ग्रौर ग्रीन लैंड खारिज कर दी गई। उस पब्लिक स्कूल के बराबर में भ्राज भी एक बड़े कबिस्तान की जमीन पड़ी हुई है । उस अभीन पर मुस्लिम चरिटेबॅल एक ग्रार्गन इजेशन है, जो स्कल कायम करन चहत है। उसके करीब ही एक मुस्लिम क्रार्यन इजेशन ने एक पब्लिक स्कूल कःयम कर लिया जिसमें म इतः जीज के लोग पढ़ते हैं। वे वहां पर चरकामरे बनानः चहते हैं। मगर रोज डी०डी०ए० के लोग खड़े हो जाते हैं कि यह ग्रीन लैंड हैं, ग्राय इसमें कमरे नहीं बना सकते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं क्राती कि एक मुल्का में दो क नून कै। चल सकते हैं। कुछ लोगों को फाइवस्टार होटल बनाने की परमीशन है, वक्फ की जमीन पर, लेकिन जिस कम्युनिटी का वह वक्फ है, उसको वहां पर अपनः स्कूल बनाने की भी परमीशन नहीं है कि यह ग्रीन लैंड है, ग्राप यहां कमरे नहीं बना सजते, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते । इसकी ग्राप कैसे रोकेंगे ? इसका सम धान कैसे करेंगे ? इसमें शायद बहुत ज्यादा इस विल में तवज्जह नहीं दी ज सकी है। उसमें कुछ हम री कमी भी है कुछ हम री मजबरियां भी हैं, जो हम लोग समझते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि वक्फ बोर्ड को जिस तरह से भ्रापने बनाने की बात कहीं, कंस्टीट्यूट करने की वात कही तो दक्फ का इस्तेमाल उस वक्त और सही होगा जब उसमें जिन लोगों की देखभाल करके रखे जाए तो यह समझते हों कि इस बक्फ को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करना हैं बल्कि कम्युनिटी के मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहिए । मुझे याद मा रहा है, हमारे एक बहुत हो वोकल मेंबर थे अबुल समद सिद्दकी, कर्नाटक से, वे बोरे जब जाते थे ता लाग उनसे बड़े नाराज जाया करते थे। वह कहते थे कि वक्फ की ग्रामदनी वाकिफ की मंशा के साथ ही सर्व होनी चाहिए। तो उसमें एक

[RAJYA SABHA]

391

एतराज उठता थाकि साहब दरगाहोंकी श्रामदनी जो है उसको हम किसी दुसरे काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तो दरगाह को ठीक करने के लिए है, हमको मस्जिद ठीक करनी है। तो यह कहकरते थे कि दरगाह की श्रामदनी जो वहां पर चढ़ावा चढ़ता है, सभी लोग जाकर चढ़ाव चढ़ाते हैं । तो अब यह फ्रामदनी है तो उसका आप एज्वेशनल इंस्टीट्यूशंस पर खर्च क्यों नहीं करते । तो हमारे कुछ लोग जो इस मामले में ज्यादा एतिहाद पसंद हैं ते। वह एतराज उठाए करते थे कि भाई वाकिफ की मंशा पहले देख लीजाए उसके हिसाब से देखा जाए । ग्रब प्रावलम यह है कि अगर पुराने बक्फ उठाकर देखली आए तो चुंकि तालीम का तस्सव्र वह नहीं है जो भ्राज है ता वाकि फ की मंशा यही होती थी कि भई मेरा यह मकान है, में इसे वक्फ करता हूं । इसका किराया मस्जिद में लगा दें और इमाम की तनस्वाह में लगा दें। ज्यादातर जो थे. तो उस समय वाकिफ की मंशा यह रही थी। लेकिन आज हालात बदल गए हैं ब्राज हिन्द्रस्तान के मुसलमानों को मस्जिद के साथ साथ स्कूलों की जरूरत है। ब्राज उनको तालीम और ग्रपनी मंत्राशी हालत को बेहतर बनाने के लिए वक्फ बोर्ड के इस्तेम(ल की जरूरत है। लेकिन वाकिफ की मंशा लगा करके मुतबल्ली और सञ्जादा-नसीन हजरात जो हैं, वह कभी कभी इस किस्म का माहाल पैदा करते हैं जैसे कि अगर कोई बात करें कि इनको एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें तो कहते हैं कि यह हमारे इस्लाम में मुदालखत शुरू हो। गयी है, मुस्लिम पर्सनल ला में मुदालखत ़ है ।, , .

श्री हचा हनुसन्तरमा (कर्णाटक) : पर्सनली मिसयूज कर सकते हैं।

भी मोहम्म् ग्रफ़जल उर्फ मीम श्राफलत: लेकिन पर्सनल ला जो है उसका नाम लेकर पर्सनली मिस्युज कर सकते हैं। लेकिन केसरी जी ने इस बातका महसूस किया और उन्होंने पिछले दिनों बड़ा आदान-प्रदान किया, काफी लोगों से .बातचीत की। उन्होंने खुद महसूस किया

कि अब वह थिकिंग नहीं है नयी मुस्लिम लीडरिशप की । वक्फ की प्रोपर्टी पर ध्रगर सरकार त्वज्जोह दे, मैं तो सरकार से कहता हुं कि दिल्ली में आज दो सौ प्रोपर्टीज हैं। 1983 के घन्दर जब राजीव गांधी साहब वजीरेम्राजम थे उन्होंने एक बार कुछ प्रोपर्टीज को निकाला था जो सरकारी कब्जे में थी उनको खत्म करने की बात कही थी । अनफारचुनेटली जब यह आईर द्याया तो कुछ लोग तैयार बैठे हुए थे, मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, विश्व हिन्दू परिषद् से साल्लुक रखने वाले लागों ने कोर्ट में स्टेले लिया। 1983 के बाद भ्राज 1995 हो गया है, 12 साल हो गये हैं ग्राज वह मुकदमा कहां पर है। दो सौ प्रोपर्टीज है, सरकार का आर्डर कहां है, क्यों तारीखें नहीं लगती हैं, क्यों मुकदमें की तारीखें नहीं भुगताई जाती हैं, क्यों इस मामले को नहीं देखा जाता हैं ? यह मेरी समझ से बाहर है। मैं तो भ्रयने बी.जे.पी. के भाइयों से कहंगा। राम रतन राम जी ने बड़े जज्बे के साथ श्रमेंडमेंट दिये हैं । श्रापकी पार्टी का भी यही जज्बा होना चाहिये । मैं ग्रापसे दर-ख्यास्त करता हूं भ्रापका ग्रसर रसूख है तो ध्राप विश्व हिन्दू परिषद् के उन हजरात से कहिये कि यह वक्फ की प्रोपर्टीज है या नहीं है। सरकारी कब्जा है। ग्रगर किसी प्राइवेट इंडियज्ञल का कब्जा होता तो शायद एतराज की बात हो सकती थी। सरकार का कब्बा है अगर सरकार ने श्रपनी खुशी से कहा कि वक्फ की प्रोपर्टी वापिस कर दें तो दिल्ली के वक्फ वोर्ड की श्रामदनी बढ़ेगी । इससे हो सकता है कि दो चार एज्केशनल इंस्टीट्युशन बेचारे जो चला रहे हैं उससे बेटर श्रपुर्चुनिटी 🕸 मिलेंगी, ज्यादा खिदमत कर पाएंगे लेकिन उन्होंने स्टे ले लिया और उसके ऊपर कह दिया कि यह तो गलत कर रही है सरकार, इस पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, इसलिए यही कानून का इतलाक होना चाहिये जो ग्राम प्रोपर्टीच पर होता है। मैं तो राजीव गांधी साहब का जो जज्बा था उसकी कद्र करता हूं इखतलाफ के बावजूद, कई काम उन्होंने ऐसे करने की केशिश की लेकिन हमारे दूसरे हफ्ररातः ने रोड़ा अटकाया । आज अगर मुसलमान इक्फ प्रोपर्टीच को किसी तरह

से बागुजार करके उसकी ग्रामदनी की बढ़ा कर के तालीम के काम में या किसी बेटर काम की तरक जा रहे हैं तो देश की खिदमत कर रहे हैं। हमें तो स्कूल चाहियें। ऐसे ऐसे गांव में ग्रापको दिखा सकता हूं जहां मुस्लिम आबादी 75 फीसदी है लेकिन प्राइमरी स्कूल नहीं है। मेरा **कहना यह** है कि प्राइमरी स्कूल देना तो सरकार का काम है। अगर सरकार किसी वजह से नहीं दे पाती है, भ्रगर वक्फ बोर्ड वहां पर संस्कू खोलना चाहता है, उसकी भामदनी से चलाना चाहता है तो उसमें क्या बराई हैं में दिल्ली के दो स्कलो को जानता ह जिसकी इन मदारों ने चलाया, वह दिस्ती एंडमिनिस-दृशन से परिमिशन मागरहे हैं। हर रुल रेग्लेंशन को पुरा कर रहे तनबनाहें पूरी दे रहे हैं, जो रेगुलेगीस हैं उनको पूरा कर रहे हैं, इन स्कूलों को श्राप मान्यता प्रदान कर दीजिये लेकिन तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच, दस-दस साल लग जाते हैं, ग्रांप हाई स्कूल को रिको-नाइज नहीं करते हैं। यह कोई एंटी नेशनल काम तो नहीं हैं बच्चों को पढ़ाना । थह तो सरकार का हाथ बटा रहे हैं। जो काम सरकार को करनाचाहिये वह ग्रागे बढ़कर के करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई सोशल ग्रागैनाइजेशनकोशिश कर रही है। में यह कहना चाल्ता हूं कि कानुन तो आप लाए हैं। कानुन की मदद बड़ी जरूरी है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कानून के साथ, श्रापके काम करने की विल भी होती चाइये । यह नहीं कि एक तरफ से लाए और दूसरी तरफ से कोई दूसरा रास्ता दिखा कर रोंक लिया । जो काम होता है उसको रोक दिया, दूसरी तरफ से कुछ लोगों को पकड़ लिया, काम नहीं होने दिया । मैंने प्रापको एक मिसाल दी हैं। ऐसी मिसालें और भी हिन्द्स्तान में मिल जाएंगी । बहुत से कज़िस्तान हैं, बहुत सी दरगाहें हैं, जमीने हैं वक्फ बोर्ड की, हरि-माणा के अन्दर जमीनें हैं । मैं भ्रापको बताना चाहता हूं कि सात-भाठ साल पहले मैं पंजाब गया था, वहां पर मैंने वेखा कि बक्फ बोर्ड के पास 40-40 लाख रुपये पड़ा हुआ है । सिकन्दर बस्त साहब भी जिन्न कर रहे थे । ग्रामदनी करोड़ों रुपये की होनी चाहिये थी लेकिन सिकन्दर बस्त साहब, वक्फ कोई के जो चेयरमैन थे, सरकारी मलाजिम जज्बे वाले ग्रादमी थे भौर चाहते ये कि एज्केशनल इस्टीट्युशन बन जाए । वह उस 40-45 लाख रुपये से एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे । लेकिन सर-कार ने परिमिशन नहीं दी कि वक्फ बोर्ड का पैसा चूंकि भ्राप तालीस पर पहां खर्च नहीं कर सकते हैं चूंकि वाकिफ की मंशा नहीं है इसलिए अप वह संजूत नहीं बना सकते हैं। लिहाजा वह पैसा वहीं पड़ा रहा । हरियाणा में एक बनता बनाता इंजीनिवरिंग स्कूल नहीं बन सका । भाज मुझे ग्रब्दुस समद सिद्दीकी साहब याद ग्रा रहे हैं जो वक्फ की लड़ाई लड़ते ये ग्रीर मृतविश्वयों के, सज्जादानगीनों के बहुत ज्यादा अनुते भी खाते थे बेचारे । जब वहां जाकर बोला करते य और कहते थे कि दरगाह की ग्रामदनी एजुकेशन पर खर्चकरो तो लोग कहते थे कि भाई यह देखो मुस्लिम पर्सनल ला में म**दाखल**तः करने चला है यह शब्स । मुतदल्लियों की मालुम है कि वाकिफ की मंशा क्या है। वे तो उसी हिसाब से खर्च करेंगे। वाकिफ की मंशा जो है उसको कैसे व एट्रीब्यूट करते हैं, कैसें करतें हैं यह तो वे. मुतवल्ली हजरात ही जानते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि भ्राम भ्रादमी को उससे लाभ बहुत कम होता था ।

हमने खुद भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए में ब्राज इस ग्रजीम ऐवान के जरिए से हिन्दूस्तान में रहने वाले अपने जो मुसलमान भाई हैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने भी बहुत सी जगहों पर कब्जा किया है लेकिन हमने श्रपनी मस्जिदों के श्रंदर कैबरे तक के होटल खुलबाए हैं। ये काम हम ही लोगों ने किए हैं। ऐसे लोगों के गिरेवान एक हो चाहिए। ऐसे लोगों को कभी वक्फ बोर्ड का मेम्बर नहीं बनने देना चाहिए। दिल्ली के ग्रंदर ऐसी मस्जिदें हैं करोल बाग के ग्रंदर जहां पर अय्याशी के सब्दे चल रहे हैं और बेचनेवाले हम खुद हैं। इसलिए अगर दुसरों से कुछ तबक्को करें तो सबचे पहले ब्रयने यहां से भी कुछ शुरू करना चाहिए । में तो यह कहता है कि केसरी जी यहां बैठे हुए हैं, हमेशा इस मुल्क में भ्रगर 45-50 साल से सरकारें चल रही हैं तो उनमें ज्यादातर धापका

हिस्सा रहा है, प्राप देखिए कि वक्फ के मेम्बरान कैसे लोगों को बनाया गया । में प्रापसे कहता हूं कि वक्फ बोर्ड का मेम्बर जब बनता है उसका धर देख लीजिए ग्रीर वक्फ, बोर्ड की मेम्बरी से हटने के बाद उसका घर देख लीजिए । श्रापको फर्क पता लग जाएगा कि कितनी सर्विस की है उसने । ग्रपनी सर्विस खूब करते हैं वा इसलिए जो कानून श्राय लाए हैं इसका में बेहद मुक्रगुजार हूं। कभी है इसमें लेकिन उस कभी को भी मैं तो कहना हूं कि कम से कम ग्राय एक्योर करिए।

दूसरी बात यह है, में एक गुजारिश जरूर करूंना केसरी जी। प्रापने 2-3 मुद्दे पिद्ले 3-4 साल में उठाए हैं। एक मुद्दा ग्राप वक्फ के मामले में बिल्कुल सिंसियरली 3-4 साल से उठा रहे हैं। इसे कोई इलैंक्शन स्टैट नहीं कह सकता। ग्राज एकाध मामले को लेकर शहर में पोस्टर लगे हुए हैं कि इलेक्शन स्टंट है। कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स फलां चीज का ऋडिट ले रहें हैं ताकि बोट की पालिटिक्स की जा सके । म ऋष्योजीशन काहोकर इस बात को कहने के लिए तैयार हूं कि केसरी जी ग्रगर यह बिल लाए हैं तो इनकी नेकनीयत है और इस पर किसी को शुबहा नहों करना चाहिए । यह कोई इलेक्शन स्टंट नहीं हैं। लेकिन इसके साथ-साथ में ग्रापसे यह भी कहंगा कि इसका हश्र व न हो जो 1984 क ग्रंदर जो एक एक्त श्राप लाए थे उसका हुआ। था । दोनों हाउसेज से पास हुआ था, सदरे मोहतरम के दफ्तर में जाकर वह कानून कहा चला गया श्राज तक पता नहीं । 10 साल गुजर गए । में ब्रापसे गुजारिश करूंगा कि भापका पूरा एफ्ट यह होना चाहिए कि यह राज्य-सभा से भी पास हो, लोक सभा से भी

पास हो ग्राँर सदर साहब के दस्तखत होकर कानून बनकर लोगों तक पहुंच आए । दूसही बात यह कहूगा ।

उपत्रभापति : ग्रब आगे दूसरे लोगों को बोलना है ।

श्री मोहम्मद श्रफजल उर्फ भीम श्रफजल बस मैडम, ग्राखिरी बात कहकर खत्म कर देता हूं। एक ही मेरा सजेशन इसमें है । जो रहमान साहब ने श्रमेंडमें**ट** दिए हैं म मुकम्मिल इतिफाक के साथ यह कहना चाहता हूं कि सारी जो वक्फ प्रापर्टीज है उनको भ्राप रेंट कंट्रोल एक्ट से मुसतसना कर दें, उससे निकाल दें। क्रीर उन पर पञ्जिक प्रेमिसेज एक्ट जो गवर्नमेंट की प्रापर्टीज पर लागू होता है लागू कर दें चूंकि सरकार ही इसको देख रही हैं। ग्रगर सरकार यह समझती है कि वक्फ की प्रापर्टी कम्युनिटी की प्रापर्टी है उसका इस्तेमाल पूरी कम्युनिटी के लिए होता है तो देश का भी फायदा होता है इसलिए इसका इतिलाक वक्फ की प्रापर्टीज के अपर पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट के तहत जो गवनेंमेंट की प्रापर्टीज पर लागू किया जाता है वही इतिलाक इसमें होना चाहिए ! ऐसा अमेंडमेंट डालकर इसको करा दें, यह काम करा दें जो मैंने लास्ट में कहा है तो ग्रापका नाम सुनहरी हरफो से लिखा जाएगा ऐसा भुझे यकीन है ।

में ग्राबिरी में इसको सपोर्ट करते हुए धापक शुक्रिया भदा करता हूं कि ग्राप इस बिल को लेकर ग्राए हैं। मैं सरकार का चाम करता जाती तौर पर श्रापके एफ्टेंस का ज्यादा शुक्रिया भदा करता है।

† اِمتنو*ی بحد*افضل عرف م -افعضل : "اترپومیش" میدم- میں نزیبی کھونگا کہ ا بیت دیری میران ایت این میناما سرى جى كؤبهت بهت ميں مبادكياوديا موں اسلے کہ میں ایک یا رہینٹ کے ممرى حينبت سعمني بلكذوا ت حينيت سعاس بات كربيت الجي فرح سع جائذا بهرون كركتيس يميدتن وادسال سيجب مى ممن إن سعوم ف مداس بل ك باست ك -اغوب فرجمه بيشد ايت خواميش فابرى كر بربراب وك ابت كنسينس تبادكريس اود برمیری زمر دادی میم کرمین امسکو المني خواميش اورمنستاك مطابق تلون كرياس كران سي ابي مود كرونكا-مراخیال ہے کہ بیت سی جگہوں پر -يجع اعتراف كرن مين كوى دفعت بنين مع درم مع تميال مم يكي -ليكن ليسري جي خعمين بادباد كمعتكعتبا يا اودباربار تختكمينا بااوربادباد توجيدلان كهين اسكوكرناچايتيام وس-مبيُّكُس بلكيُ لادر مراخيال بيءكه بهت أرياده كنسبنسس ز ماده نر*نوگوک معے* لینے ک*ا اندار منے کوشش* ي - معدومستان ميں مسلمانوں کي جتني الركئائز مينتنس مبب منوبي بيب مسجاده

تنتيب حفرات مين مسلم بادليفيث ے ممرس میں۔ ایم ایل۔ (یز 'کی حرفک اودجودك يادليمنيك اوداسمبايق العين الخيس الخيس الخول في المنتبكة لکیادودبات کی -کنیونکہ کیسری جی کا جذب بوازبردست بعاورمين انكة مغديرينين بالكساد يدديشي كزيه بات ئہنا جامت ابدوں کہ اس بل کے اندر بھی كافى كميان بين (ووامسكى لمف البيحان عجائ خاشا مده كيا اور إنغاب كيجه امند میندس بعی مودید سی اورمین مجترام وب كركيسرى جي ان برعي مودي ميع خود تريينيك - (أرَّمًا بل قبول مهول تو (خيو فرود مشامل كريس-ليك مين أج بهال بولغهون جهال كيسرى جى كانشكريه ادا برتابول كه وه به بل ليكر أي ميس اورحبس سع سمير اميدم وحلى سع كانتساير وظف كحالت بهتر بري وسيع اس معدن كدوراراً باوس كذريع دبیش کے مسلمانوں توہی ایک بات كهنى بع كه وقعف تى ترويس كرويس ومينغنى املائسى نبلى كامسبهتين كيس سركار مع ويكري تواس تبابي كا مسب يسع بزامسبب وقف بودقهع

مېرىرىم د ئىزىك بىي دىيى بىس-سىركارى طوا برمين يهمعجتنا مون كه ونغنب كالملاك كىساتھ ئاانعمانى ىموكىيى -ليك بورۇ مسب جگہ بنے مہوئے ہیں۔ افسیس کا مقام سي دركي مرباسنون كتوجي إرا -جيسييس أنافك كمثال ديسكاي أرباره ترصوبوب كئا ندوحوو تعنب بودعى بنائ جانع میں اسمیوسیاسی شاعو كااورمهان كمسياست دانون كاان بودخس كوبنك مين بوا باغد دستاب سيمص سيم بص نامينيشن بهوتيس ليكن تنبي اس بات برفور بنس كياجاتا يعے كەمىدلمانوں كاببىت بى مىندوراود بهت بسابم اداره بع جسسكة وربيحانى حالت كو- سرايشي حالت كيد-(نكيمايي حالت كو (ورائمي تعليم حالت كو بيتر بنایاجامسکتاب لیک افسیس بعیس دى كاب كرام الهوا- كارتيس جاليس معالوں سے بور درے خرس کی لسک اعْمَا مُر دَيكُو لِيدِي كَرُاسِيسِ الْسِيدِ لُوكُون كُو جويى معر كارار بى مرح -كسى ي بيوم موكار من مين ميد اسي كوي فرياده فرق بني بع - اليسه ديگول كه وقعف بورك كاه بنایاجاتا ہے -جنب سمیاسی موریرانے

گروئیس اود ایدجسٹ نہیں ترسیکتے ۔ جب كخط منيي ملتي الكودين ليكارك تبسكن مين كهيلوتميس وقعف بودة كامم بنا ديت ىس جومىسىكى لوكسى جود يى طور بريه سمجه بنين سيكة كروفف بود وحدكيا سي بين - (ودوقت كاكسيح بمعامتمال لياجاً سكتابع - كمير نتي يح ميم مبنث كيك -ان نوگوں کو ہناد ماجا تاہیں۔ نتیجہ یہ بعوثا ببعاكم كوورون مرويع كي برار فياور ادبون ئ براير ت-جنگ كرود قال كرامون م من چاہے کے نوٹھ بعرجاتے ہیں اور بدرا وقعف جوبيه بربا ديموجا تاسط وتي اسى زنده مثال سے -ليكن سركارى دف يع بي بيت بمادر و اقوامات اليسايق میں جوبور انسیس ناکٹ ہیں۔میں ایک چىدىئىسىمنال ديناچاستابوي-دى میں وقعت کی گئے ہیست بوی مسئکھیا ہیں برابرئيز بي اوربست سادر الينوس -متعايد بعما وسع ببست مساور عمران يهني جلنة مريبال دين مين فاليكواسط وموثل جونظام الدين كتقلب ميں يعون وقعت ی ذمین بربنامه*وایع -اوردل کا*ایک بزاببلك امركول جونفا والدبق مين جحه ہے۔ وہ وقف کی برابری بربنامہواہے۔

میں بنیں کہ مسکتا کہ عبسوقت ان کوگوں ف اسکواینے نام کیا یا کوائے ہرلیا اسوفت كبّاطريقه ابنايا-امسومت بعي يه ترين ليتر مغا-اوری کی ایے کا ایے مطابق یہ زمبنيي كرين لينذ تعين جن بركوى كسركش بنين ك جاسك ليكن معليكتيد والته ميع كنسفركسشن كزليا كميا اواركوس لينت خادج مُردئ تني ليكن اس سلك (سكول) برابرمس أي بى ايك برك قيوستان كرزين بہی مہدئ ہے۔ اس زمین برمسل جیری کم ابيك الدكنا مريشن سي حواسكول ما مركزا چاېتى بىر اس قرىيب بى ايك مسلم المدكنا مربيس فاليك ببلك اسكول قام كرليام حسمين مائنار مُنزمَة رنگ پرمھتے ہیں۔وہ وہاں بر حارکت بناناهامتے ہیں۔مگر دور کئی کی دے ک درگ عفود مهوجات میں کر در گرین لينذب أسي كمر الميكن ہیں۔ یہ بات میری سمجے میں بنیں آئی كدريك ملك مين دورو فانون كيسيم ييطن بين - كيجه دركون كو فاليكو (سفام مولل بنانے ک برمیشن سے وقعن ک ثرمین ہر-اليكن جيس كيونئ كلعن وقف ہے -اسكووال برابنااسكول بنانفى بعى

برمينس بنيس عد كرعن لينوسيد أب يميان مر بنیں بنا مسکتے-اپنے بچ ل کو بوصف كيك بني ببيرسكة -اسكواب كيس دولكن يك اسكاسمادهان كيسد كريفك-اسميى شايع ببت زياده اس بلس توجربنس دى جاسكتى بالعمين كيمال یں جوہم لوگ من<u>م چنے ہ</u>یں- لیکن مرا يه مانناسيوك وقعت بودى كوجبسم ح يعد البيغ بذلن ك باست كهي يع كالسي تيوش كرع كباستكى تووقعت كااستمال اسوقت صبحيهم وكاجب لسمين ىوتۇن ئودىكى تىمال ئۇك ئىتاجاج -جويه سيمعة بهدار اس وتغف كو داتى مفاد دستدك يق استعمال بيس كُرْنَا بِهِ لِللَّهُ كَثِيرِنْنِي يَعِمَا وَ التَّلِيكِ مُ استعال كزاج اسة - يجعد ماداد رياسه -ہمادیدایک بہت ہی ویکل ممبرتھے عبعالصه مصريتي تزنانك يس بيعيادرجب جلت فيونوك الناسع براء نادراف مهوجا ما كرتر فق توفف ئ لامرنى وقف كى منشائ مطابق م خرج معون چامع - تواسعيس ايك اعتزاق المتناتعا كمصاحب دركابيون أكامني

جووبان فيرمعاوا فيراهما يعيم بمعج يوك جائر چرنهار در معاتے ہیں۔ توجب بیہ لامرى بع تواسكوكاب الجوكين إلىسى ئيوسيونننس بركيون بنين جرج كرت-توسمار بيحدوك جواس معاصل مس نسطاره انتبابسنوس تدوه اعتراض الخايائر تمقطة كمعال ودقف ك نسشام بيع ديكة ي جائد اسكومساب سع يكا جاُئے۔ اب ہراہم یہ ہے کہ دیر پرانے وقت المغالر ديكو يعركها بين تدجرونك تعايم كانعور حره بنهى بيع جوالج سيع- تووافعنس كم شأ بہی ہوتی تھی کہ بھٹی میرا مکان سے ۔ مين اسع وفف كزنا بعوب السكا كواب مسجمين لظاديس اورامام كي تنعنواه میں نگا دیں۔ زیادہ وقٹ بود کھھو مقع يتواس سم واقت ك منشأكيه ىرى تىھى ـ كىكن تېچ حالات بدل گەنس، أج حدومتان كمسلمانون كومسحدك مساقه سعاتى اسكولون كي بي عزودت بهيئة الكوتسار إودابني محامش حالت كو ببتر منلن كيك وقعن بودك كالمنتوال ئ خ وَدِدت بِعِدليكَ وا ْعَنْ كَ مَنْشَا كُنْكَا كرك متعولى اور مسحاده نسيس حضرات جوس وه تعبي كبي اس قسم كا ماحول بيدا

کرتے ہیں۔ چیسے کہ اگر کوئ بابت کر دہیے ہیں کہ انکوا بجوکیشن کیلئے استوال کریں تو کہتے ہیں کہ یہ مجا درے اسلام میں موافلت مذرج مہولئی ہے مسلم پرسنل لامیں مدد نشاعت ہے -

شری ایچ معنومی تقیا: پرسم سر پوز کرمیکنے ہیں -

منترى محد اضفىل عرضيم -افعنل: ليكن برسنل لاجوسع السكانا الدكرمرسنان س يوز كرسكت بس-ليك كيسري فاس بات كو محديس كا اودائدن يكيد دنول برا أوان بردال كيا- كافى لوكرن بعد مات جديت ك الخور فخود محسوس كيا كراب وه تعنكنگ نهين ي نى مسلم ليۇدىشىپ كى -وقف برايرلى برا کر مسر کارترجہ دے ۔میں توسم کا رہیے مكنا برو كردق مين أج دومعوبراً بريمز يس -سر۱۹۸۱ کالنورجب داجيولانوعي صاحب وزيرا عظه تق انفون نعايك إد كح مراير تبزك نكالاتعابوسركا ووقعف ميں تقيق- انكوختم كرنے كى بات كہر تتى . ان فارجونيلى جب يه اردرا الانوكي لوك تيار سينه مر مرقع مين انكانام بع الم الكالهول والله والله والم البشو

معى تعلق الكين والدوكار في معد استخداج ١٩٩٥ كوراج ١٩٩٥ ىغولگامىيە-١٢ مىدال مېوگىيىم بىن - آج و ن منوم، ومان پرہے- دوسو برا برنیر میں مسرکادکال دی کہاں ہے ۔کیوں تا ریز بہیں ملتى ہے -كيك مغدے كا ارمخيس لہيں بعكَّنَا زُجاني مِي -كيوب اس معليه يونين ديكاجاتاب يدمين معيس بابرجيس تواینے ہی۔ جے۔ ہی سکے معامیُوں سے كيونىكا-دام د تن دام چرى فرېشى يونې مے ساغوامنٹرمنے دیتے ہیں ۔ لابعی بإرش كابس بهي جزب بعيونا حابية مين أييس دوادراست كزنام والإيكا تروك م - توانب وشوه ومدوير بسشر كان حفزات معم كمين كديه وقعث كاراليل بيع يا بنين بيد معركان قبعند مع الر تدسنايدا فتراصى بات بوسكى تقى . معرکاد کا قبعذ ہے او دمسرکا دسفارٹی ڈیٹی يعد لها بعد كدوقف كى برا يرفيز والسى ردين ا

توحل وصف بولدى المدنى بالمعيني - اص يسه مهومسكتا يع له دوجارا بجوليشنا إنعي لتيونننس بيبجاري حوجلاديه بساس سے میٹر اپورچننیم ملیل فریادہ خومت كُرُ بِلِيَكِنِّكُ - لَيكِن الحنون في المِينِيُ صليا اود ايسيك اوبركيريا كدية توغلط كردبي بيد معركاد-اس بررينت كنزمل ايكفالك مهوتا ہے -ایسلئے وہی فائدن کا الملاق بهوناچلينغ جوعام برا پريئز يربونا بعي تود دجيو كاندحى مماحب كلجوجزب نغا السكى تعوركم تأميون افتلاف كما وحود-کئی کام (نوزیف) بیسے کرنے ک کومٹسٹن ک لیکن میما در در سروح غداست فراهاد ا تُمَّا يا- آج الرُّمسلمان وقف برا برئيز كولسى طرح سے واكر ادمر اسے امسى المدن برطها كرك تعليم كالممين يالسي بيولا ئ لمرضع درم ين توديش ك خومت كرميع بين-بيس تراسكول چابيد-

اليسدا ييسه كالوس مين البكرد تحاسكتا مهون جبال مسلم! مادی ۵ مفیصدی يع ليك يرا مُنى اسكول بين بع عيرا كهنايه بيعك برد تمرى اسكول دينا توسهاد کا کام ہے -اگر سوکا دکسی وجہ معد ہیں دے پاتی ہے - ارگوفف بولڈ وہاں ہر (مسكول تحولزاچا ميناسے -(مسك موي سع حبلانا جامة ابع تراسمين كيابرا كسبع مس دى تەرورسىكرىدى كۇھانتامىدى حبسكان ادلاون في المارون في المارون وي ایدٔ سسرُمینش سے پرمیشن مانگ رہے بين - بردول - د بگوليشن كويودا كر ر ہے ہیں۔ تنفواس بودی دے دیے ىيى-جولەنگەلىشنىسى بىي ا**ن**لۇپولسا *ك* رہے ہیں -ان اسکور*ں کا* ب مانیت بردان كريجة للكريتن تين عارجار إنج بانج دس دس مسال السُس جلتوس -

امب بال (مسكول كوفس بكنا الزينين كوت میں ۔ یہ توکی اینٹی نینسنل کام تونیس سے بجول وبإمعانا -يةتوسركاد كالإقعيثا ريع بين -جو كام سركاد كو كرنا جاسيم-وه الدير بوحا الن ل كوشف كالرسيلي اوديئ سوشل اوكتا تزييش كاملي بے-میں یہ کہناچاہتا ہوں کہ قانوں تو اس لائے میں - قانون کی مور ہوی مزوری ہے - لیکن در بعالکہ اس بات كلبع كة قا فرن ك سائعة كريد كالألحري ول مبون جارمه يد بنين كرديث وف معه للدنئ اود دومسرے طرف سے کوئ دومسر ا داسنة دكحاكر كولساليا جوكام يهزماج امدکوروک دیا- دومرے دومری افت يكي لوكوك نے ميكولميا - كام ينس بيون ديا-می*ں نے ایو*کٹال دی ہے - ایسہ مثالیں اوربع صندوستان میں مل حامینگی بہت

معص خبرستان میں ہیست مسی درجگا ہیں میں نرمبنیں میں وف*ف بورنج ک - ب*رکار کے انورزمینیں سی کیکو بتاناچاہتا بهي دُ مساست لاق سال پيلے ميں بنجاب كيا تمنا- وبإن پرمين في ديكمنا كيوقف بودي ك باس عاليس بجاس لا كودوين برمز مواہے ۔ مسکودماحب می دکر کر دہے من المون المولودية من بون جالية فى ليكر بمدكز ربخت جاهب وفف بودة كيجو چيزمين بي سركاري ملازم لي جزب والعادى تق اورچابى تقے ك المجوليشنل انسش تيعنسس بن جلئے وہ (س)چالىس*ىپنىتالىسىلاۋە دوپېۇس*ە (يك انجينينگ انسى تيوث بناناجاية تفع لیکن سرکارنے مرسینس مہیں دی كه وقف بورد كايبيسه چونكه اب تعليم بربهان فرج بين كريسكنه بين حونكواله

ى منشأ بنى سے اسلے زب يہ اسكول نيين بنايسكتے ہيں- لہذا وہ بيسہ وس پوروبا- بربرهاد میں ایک بنتا بناتا ا نجينيزنگ اسكول ميني بن مسركارج بجح تبدا تعمدصديق صاهب بأواديع بس-جووقت بوائ بمرته تع اورمتولو يعيد معماره نشيش كتعربهت ذيادي چرنے بی کھاتے <u>تھے</u>۔ بیچارے حب وہاں جار بولام تنق اور كيف تقدر در كاه كي لم مرنى لربوليئش برخ ج كرو تولوگ كهف تقحه بجادر كقويه مسلم يرمسل لامين مر دنولت كرنے ولا ہے یہ مستخص منزلیوں كأصلع بيرك واقت كى منشأ كيابع عق تواس*ى حساب سيخرچ كريننگ-واق*ف ك جومنشا بعاملوكيسة وه اينزيميون التربين ليسيه كرتهي ريه توق متوى حفرات بى جائتے ہيں ۔ ليكن سعى بات

يه بِعِدُ عام أوى كوالصف للجوببيت كم مهرتا تعا-

بم في خود بعي برانعمان يهونيا يا بع -ايميك مين أج عظيم إيوان كنذاج مسلمان بعائ ہیں ان سے یہ کہناچاہتا مهول كرمع كالسفي لهت مسى حكهول برفعف كنابغ ليكن بمهندابي مسجون ك اندار كيبران تكسكيم وثل تقلو الحين-يه كام ممودك فرك في كامي اليسيدلوكول ك كريبان بكرم زچامية - اليسه بوكون كو بعجع وقف بوائخ كالمبربنس بنيفدينا عامية - (قى عَ اللا السي مسجوي میں مرول باخے اندرجہاں برعبامشی کے الخديد ليهم س اور سيخة والعم فنور یس-ای<u>سان</u>وار دوسروں سے توقع کریں تو

بسيبي ليغيها لسعيى كح نغروع كرناچا بيئة -مين لوين كيتا بهون كركيري جى بيان بيعظ مورك بين بميستهاس ملكمين اكريبينة اليسي بجاس سال يىيەمىم كادىن چلىرى بىن-توان مىن ندياده ترحقته لإبكاد بإسه كرسيديكي لهٔ وقعن کے عمران کیسے نوٹکل ک بنایا گیاہے -میں ایب مید تبتا ہوں وقعت بودوكا مهرجب بنتايه امسكا كمرويكته ليبيئ اوروقت بوادى مبرى سع يعفف كبدا مسكا كرديك لىبى*جەدا بىكۇفرق يىتەنگىجارئىگا*_ كم كننى معروس كى بعامى نے - اپنى مۇن خو*ب کرتے ہیں وہ -ایملای*نوقان_وں أب لائ يس اصعامين بيعونشكر كرُ اوميون كمي بع اسمين لليك اس كمى كريس مين توكيرتا بول كركم يساكم إب ايشيع كريئے-

دوسری بات یه بعه میں ایک گزادش *مزود کر ونگالیدی جی-اینے* دوتين موت محير فيار ممال ميل فياد میں ایک مخا اپ وقع کے ساملے ميى بالال منسبيدل نيين چادسال يساعمًا مربع مين السف كوئ اليكنش إستنت ميني كي مسكنا-كن ايك اده ساحك كوبيكر منبرمين يوستولك مويمين كذا ليكسش امعشنش المكريس كمسام ليؤدى ملاں چیز کا کر پارے ہے۔ تاک معیث ی بالیتکسی کی جامعیتے میں افویش كالبود اس باست كه يعير كے بعث تيار ميوں و كيسرى جى اگريەبل لاستۇنىي تىو(كى ئىلكىنېتى يع اود اس بركسي كوستيد بين كرنا چلېغ-يەكول)الىكىش امىشنىڭ بېيى ليك السك مسانحه مسانحه مين أب يسع بهی کیرونسگا که (مسلما حشرون در بهرجو م ۱۹۸۸کاندرجوایک ایکٹ ایپ لائے تحفه المسكام واقعا- دونوں ما وسسة سع

باس مهوا تعا-صور محتری دفتر میں جائز وہ کہاں چلا گیا آئے تک بنتہ ہیں۔ واسال گرکھ کے میں آئے سے گراد بنس کرونگا کہ آپکا بدو ال یومہ یہ بہونا جا سے کہ کہ داحیہ سبح اسے بی پاس مجو - کوکس جا سے بھی باس مجواور صدر مما حب مے دستن جا س مجواور صدر مما حب میں میں باس مجواور صدر مما حب میں میں باس مجواور صدر مما حب میں میں باس مجواور مسری باست بہ مکھونگا۔

اب سىجابتى: اسائىكدوسرى دۇكى كۆبولىنا بىر -

مشری میدانسندا عرف م- اضغل: بسن میشم- ایخری بات کیکرختم کردیتا میول-ایک بی میرامسجیشن استمیں یع میومیان مصب ندا منا مندودید بسی میں میں مکمل اتناق کے مساتھ یہ کہنا چاہنا مہوں کرمسادی جووتف پرایٹرز

مهون دای موریرا بید ایغرشس کازیاده مشکریداد انرتام ی - "نوم مشوع

SHRI M. A. BABY (Kerala): Madam Deputy Chairman, I thank you very much for permitting me to speak on this subject. First of all, I am in general agreement with the Bill moved by the hon. Minister, Shri Sitaram Kesri, At the same time, the Ministry said that Shri Sitaram Kesri has been heading is not sufficiently serious—I am sorry to state this — about matters released to Wakf. I have a concrete example of this. Government of West Bengal, in order to tackle problems related to administration and management of Wakf in the State, adlegislation in the State Legislature and, in order to avoid any delay in the clearance for the Presidential assent, the same was sent to the Ministry for its clearance as far back as on 2.12.1993. But, unfortunately, the Ministry has not yet sent any reply and the State Government is waiting for the clearance from the Ministry. Making use of this opportunity, I would like to bring this to the notice of the Minister so that something could be done in this matter.

Madam, with regard to the provisions of the Bill, I do not have many amendments or modifications to suggest. Some of the hon. Members of this House have moved certain amendments to further democratise the administration of the Wakfs. I think some of the amendments would be useful, for example, the amendment to make the singlemember tribunal into a multi-member tribunal. Many such amendments are there to which I am sure the hon. Minister would apply his mind very seriously and sufficient medications will be made.

With regard to clause 100, I have certain apprehensions. This clause empowers the State Government to supersede the Wakf Board, If in the opinion of the that Government, the Board is unable to perform and has defaulted in the performance of its duty or has failed to comply with the directions of that Government. As the provision stands, one may not question the Intentions. But, Madam I feel that one can draw a parallel between clause 100 of this provision and article 356 of the The Central Indiann Constitution. Government can dismiss any State Government with certain provisions and all that. And, very rarely those provisions were complied with. I am not stating this only. about the Congress (I) Central Governments. Since the Congress (I) had longer innings at the Centre, Congress (I) had the credit or discredit of misusing it at more frequert Intervals than any other party. I am afraid that this fraught with possibilities of clause is misuse. In the name of the Wakf Board not complying with the directions of the State Government, this is an authority being owed to the State Government. And, authoritarian authority, even if deceralised; cannot be supported by us. This is, our difficulty. At the same time. I do not say that there be occasions when the State Government would be constrained to ask the Wakf Board to conduct itself properly, failing State Government would even which the constrained to take over or disband the Wakf Board and restart the process of constituting a democratically elected Board to replace the one which has disbanded. My suggestion is to incorporate certain saving clauses here, with some modifications.

I would like to submit two suggestions. The State Government can keep the Wakf Board in suspended animation and within a specific period, with a time specification; a High Court Judge may be requested to go into the allegations so that

with a period of two or three month, the High Court Judge would be In a position to submit a report to the State Government and on the basis of it further action can be taken. Similarly, one more suggestion that I would like to submit is that this may be brough before the State Legislature, there may be a State Assembly, there may be a discussion there. Of course the party which is running the State Government may be in a majority in the State Legislature, but still a democratic discussion should take place on the democratic forum of the State Assembly so that there would be full transparency and it would be known to the people at large, through media and through disnussions in the State Assembly why a Wakf Board has been superseded. So, this is one specific point which I want to submit with regard to clause 100.

Madam, having stated so, I would also like to take this opportunity to deal with certain general issues related to religion society and the State. I am very happy to note that nobody has questioned the right of Parliament to discuss and legislate upon the conduct of the Wakf Boards. I am very happy to note that. This exposes the deep roots of the principle of secularism and the principle of democratic accountability that have taken shape in our society during the last 40 years or so of the existence of our Republic. This is a highly commendable aspect.

At the same time I am not obivious to the fact that there are certain forces in our society who question the right of the State to deal with issues rela-td to religious property. Madam, here I am aware of the fact that one has to draw a very clear distinction between an individuals right to have certain religious freedom right to religious worship and the State's authority and prerogative to deal with matters related to religious property. When I make this submission, Madam, I am also aware of the fact that being a Communist somebody would question my locus standi to discuss this issue. Especially when I speak about religious freedom, one may accuse me and my party of having deprived a section....

SHRI SITARAM KESRI: You also have a religion.

SHRI M. A. BABY: I don't think Mrxism has a religion. There would be divergent views with regard to that. ... (Interruptions) ... I beg to differ rom you.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): If you happen to be a judge, you have to delivtr the judgment. If there is an issue before you, you have to decide it on merit. You are talking here in the capacity of a semi-judicial person. It does not matter whether it related to any religion OR not. You give your verdict.

SHRI M. A. BABY: I am making my submission with regard to the is Madam, I would submit during sue. the discussion on the subject that with regard to the approach of the State towards religion, here were mistakes in serious aberrations and the East European socialist countries and even in the Soviet Union, in evolving a correct and scientific ap proach in dealing¹ with religon. Here I would also like to submit that this is basically due to the departure of those who were in power in those Countres, presiding over the socialist experiment there, whether it was in the Soviet Union or in East Europe. Madam, I am reminded of an obser vation made by Mar tn in Ger many Bismack wanted to ban certain religious denomination whom against he had his own reservations. In response to that, Mark wrote. "That the

banning of a certiain religons demo-niation, that action of Bismark, in fact, is trying to extend the life of that particular religion, which would have otherwise met with a natural death So, theoretically and practically, we have our reservations about the religious beliefs. At the same time, it is not through administrative action or action of the State that you regulate the right of an individual to believe in a particular religion or not to believe in any religion at all. Having said so, Madam we are confronted with a situation in our country today in the guise of right to religion, as far as the alienable right of an individual is concerned there are efforts by various sections of the people to misuse religion for narrow antinational purposes on the one hand—land it does not stop here, Madam, there are many cases, apart from using religion for narrow political and electoral purposes places of religious worship have been misused for antinational activities. I am also constrained to say that there was a grave failure on the part of the ruling party at the Centre in dealing with a similar situation—I do not want to go into the details. In Punjab we had the experience of Sikh religious places being misued by anti-national militants. We in unequivocal terms condemned such action, we also charged the ruling party at that time at the Centre, which happens to be the ruling party at this point of time also, of not tackling that issue properly. At a point of time, in order to cut the electoral support of a part which was basically, drawing its support from a particular religious community, the ruling part at the Centre, unfortunately with only keeping its narrow political interests in mind encouraged certain extremist elements within that community. This landed our country and particularly that State. into a political instablity and the people of that State and this country suffered a lot. In that unfortunate

process, we lost a Prime Minister also Madam, similarly, there are many in-tances where the religion and the religious places or the religious properties have been misused and abused with narrow political and antisocial interests. I would like to take this opportunity to very sincerely appeal to the various political parties political forces and religious sector to desist from this dangerous trend, which has unfortunately en gulfed the body politics of our country. Madam, today we have certain democratic means to control the religious properties of I do not know whether different relgi-ons. Prabandhak the way the Gurudwara Committee is existing, the Wakf Board is existing and in relation to various Hindu temples and other temples of different religions there are. Committees existing representatives. with Government representatives of the elected Assemblies the Parliament, any similar mechanism is existing with regard to the properties owned by various Christian denominations. I am not immediate legislation to that suggeting effect, but it is an inspect which we should consider with care and caution. But this should not be missed by law makers. So far as my information goes there is no such establishment existing now. Therefore, thing should continue or there should be some modification, there should be some legislation towards this. This is something which we should seriously take note of. Miadam. now without taking much of your time, I would...

THE DEPUTY CHAIRMAN; You have already taken.

SHRI M. A. BABY: Already taken? What actually I thought of taking, T have not taken. Jagmohanji has made some references with regard to this legislation being made applicable to the Jammu and Kashmir State also. Madam, I don't know with what idea in mind our hon. colleague has made this suggestion. All of us

would appreciate if a situation emerges when legislations made in Parliament would be naturally applicable to Jammu and Kashmir, and all of as would be happy. But, Madam, we have to look at this from a historical point of view. We know there is article 370 in the Indian Constitution. And all of us understand and appreciate at what historical juncture we had to incorporate this particular article, 370, in our Constitution and we feel that not only should article 370 continue, but also there should be more efforts to assuage the feelings of the people and so to extend the scope of autonomy for the Jammu and Kashmir region within the framework of the Indian sovereignty land within the framework of the Indian Constitution. This has to be totally on the basis of discussion, on the basis of consensus, among all the rational political parties. When the country in general is thinking on these lines, Jagmohanji asks that why this is not being made applicable to Jammu & Kashmir. With all humality I submit, on Jammu and Kashmir this is an observation which should not have been made.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: He was supporting your view.

BABY; SHRI M. A. Therefore, Madam, the people living in the State of Jammu and Kashmir have been having a feeling that things are being imposed from somewhere against their wishes. Ι don't sav that Delhi ever did anything which actually created a situation, for the people over there to feel so. Some of the actions from Delhi also cre ated and genuine, legitimate grounds for the people over there is believe KO. This has been happ ening there, more so because of the activities of the people abroad, the anti-national forces.

SHRI RAMACHANDRAN PILLA! (Kerala): He is referring to the 1976 period.

SHRI M. A. BABY: Therefore, Madam, I am totally in disagreement, I repeat, totally in disagreement with the observations made by Jagmohanji. At the same time, I feel that there are collective democratic efforts. A situation should emerge in our country; sooner or later, when the legislations made in the Indian Parliament would be automatically applicable to the people of Jammu and Kashmir. We are looking forward to such a situation, cut the time is not yet ripe to make such sweeping generalisations. With these words, Madam, I generally support this piece of legislation whiich has been Shri Sitaram Kesri. Thank brought by you. 5. P.M.

उपसमायति : श्री गया सिंह । गया सिंह जी तो कभी-कभी बोलते हैं । दर-असल, यह जो इनका नाम है न "गया" इसलिए यह बाहर ही रहते हैं ।.. (अयवधान)..इनका नाम बदली कर देना चाहिए ।

श्री गया सिंह (बिहार) : मैडम, में अंपके माध्यम से माननीय केसरी जी ने जैस कि ग्रापने भी ग्रारम्भ में बताया कि इसमें दस साल से प्रयास किया गया और हम रे माननीय सदस्य जनता दल के नेताने तो केसरी जी की इतनी प्रशंसा कर दी कि मैं इसी को सोच रहा था कि ग्राज इतनी प्रशंसा वह क्यों कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मःननीय केसरी जी ने ब्रारम्भ में कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्न को पूरा करने जा रहे हैं। इसके छ: महीने बाद कहेंगे कि यह काम भी पराकर दिया। नैसमझता हं कि केंसरी जी ने भ्रच्छा काम किया है जो यह बिल लाए हैं । उनकी प्रशंसा तो जरूर होनी चःहिए । लेकिन इस वःत की चर्चा नहीं होनी च हिए कि कांग्रेस का घोषणा पत्न ही क्यों, यह तो ग्रापकी परानी कांग्रेस पार्टी है और बहुत सालों से सरकार में है, तो ग्रभी का घोषणा पत्र **ब्राप पूरा क्यों कर रहे** हैं, पहले वाला इतने दिन क्यों छोड़ दिया ।

मैडम, मैं समझता हूं कि जिस बिल की भी ग्रापने चर्चाकी ग्रार सिकन्डर वस्त साहब भी इसका टाईम ले रहे थे, मैं समझता हूं कि यह ठीक है कि इस सदन को इसको पास करना चाहिए और इसमें कुछ चीजों की चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने की तथा में भी दो-तील पोइंट उसमें रखना चाहता हूं।

जैसः कैंसरी जी नेकटः किः जल-तांत्रिक तरीके से वक्फ डोर्ड का चयन होगा । लेकिन उसमें नामिनेशन ही है । फिर उसमें संसद ग्रौर विधान सभा के लोग ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर वह पौलिटिकल डामिनेशन ही हो आएगा । मैं समझता हूं कि इसको उससे मुक्त रखना चाहिए । यह एक खास कम्युनिटी की प्रोपर्टी ग्रौर खास कम्युनिटी के वैलफेयर के लिए यह सम्पत्ति है। तो उस कम्य-निटी के भी एम. एल. ए. ग्रीर एम. पींज जानते हैं, हम लोग जहां जाते हैं चाहे वह पालियामेंट के मेंबर हों या विधान सभा विधान परिषद् के मेंबर हों, तो वह उनकी खासियत हो जाती है और फिर उसका दुरुपयोग भी करते हैं। इसलिए इसमें एम.एल. ए.,एम. पी. को तो नहीं रखनः चःहिए । इस कम्युनिटी के ग्रंदर जो वैलफेयर वे विभिन्न संगठन हैं, उनके नुमांइदे उसमें हों ग्रीर उसके माध्यम से अगर कोई एम, एल, ए., एम, पी. भी ग्राते हैं तो उसमें ऐतराज नहीं है । लेकिन जो प्रोविजन इसमें हैं वह मैं पढ़ रहा था । मेरा ख्याल है कि उससे दुरुपयोग होने का खतरा है। प्रतक्ष जो स्थिति इस देश में बोर्ड की है, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जिसकी जहां चलती है उसके हिसाब से उसका उपयोग कर रहे हैं । दूरपयोग भी हो रहा है और इसमें करण्यंस भी हैं।

मानतीय मंत्री जी ने शुरू में कहा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद से उसमें जो सबंधित कर्मचारी हैं उनकी जो मानी हालत है, वह बहुत खराब है जो इससे सुधर ज.एगी। लेकिन कैमे सुधरेगी, श्रापके स्टेंटमेंट से तो हम सतुष्ट नहीं हुए। श्राज इस संस्थान में करप्शन का एक कारण यह भी है कि उससे सबंधित जो कर्मचारी हैं, उनकी हालत खराब है श्रार तब जो एकोचमेंट का सवाल होता

है तथा उसका एक हिस्सा विभिन्न रूपी में जो कर्मचारी हैं, वही इस काम को करते हैं। पहले क्या स्थिति थी तथ हमारे देश में महराई नहीं थी। लेकिन अ। ज वह संभव नहीं है। इसलिए किसी न किसी रूप में एंक्रोच चल जातः था। लेकिन प्राप्त वह संभव नहीं है। इसलिए किसी न किसी रूप में एकोच करके. कुछ कब्बा करके, कुछ दुकान चलाकर, र्वैक साईड विजनेस करके ग्रीर ग्राज जो उसको वह हड़पने की कोशिश कर रहे हैं. उससे बचाने के लिए हमने यह देखा कि इसमें कोई ऐसा प्रोविजन है ? तो जैसा कि हम रे मननीय सदस्य बेबी जी ने कहः, एक दूसरी ओर जो अःज मःनो-पौली हो रही है-रिलीजन ग्रीर पौलि-टिक्स की, दोनों का सम्मिश्रण न हो वह कम्युनिटी चूंकि मायनोरिटी है श्रौर उनकी वह प्रोपर्टी है उसकी मान्यतः हम दे रहे हैं- उनकः पूरा अधिकार बढ़े, उसमें किसी का हस्तक्षेप न हो और वैलफेयर मिनिस्ट्री की ओर से जहां उसकी कमी हैं जहां उनको जरूरत है उसमें उनको मदद, कारें । जनता दल के माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रोपर्टी का इस्तेमाल उस कम्युनिटी के एजुकेशन में तथा और दसरे वैसफीयर में हो जिससे उस कम्य-निटी को विवासित कर सकों । क्योंकिं हमारे मन्ननीय केसरी जी इधर हाल देः दिनों से जब से बैलफेयर मिनिस्टर है काफी प्रयास वह भी कर रहे हैं। प्रखबार में प्रा जाते हैं कभी प्रारक्षण के मवाल पर, कभी मंडल के सवाल पर ती यह अच्छी बत है कि कुल मिल कर केंसरी जी हमारे काफी पापुलर हो रहे हैं और हमको भरोसा है कि इस बिल में जो कुछ कमी है, जो मन्तर्नीय सदस्यों है। सुझाव दिए हैं, इसके अलावा भी ने सोचत हैं, कुछ सोच करके कुछ और नई चीज सामने लाएंगे जिससे यह महसूस होगा दिः इस धोर उनका सचमुच में जो पिछले काई सालों का प्रधास था, उसका ग्रन्छ। ग्रमर इस वस्यमिटी पर पडे, धन्यवःह ।

विपक्ष के मेता (श्री सिक र क्षा) : सदर साहिवा मुक्तिया । मैं ज्यादा इस बहस के दौरान हाजिए नहीं रह सका, इसका मुझे सख्त अफसीस है। मुझे फायदा उठाना चाहिए था कि क्या-क्या कहा गया। मेरी पार्टी की ब्रोर से मेरे साथी राम रतन राम जी ने इज़हारे-ख्याल किया और उनकी ब्रमेंडमेंट मेरे सामने मौजूद हैं, काफी ब्रच्छी हैं।

सदर सहिबः, में बहुत नाजुक जमीन पर इज्रहारे-ख्याल करने के लिए हाजिर हुआ हूं । बहुत तज्बज्ब है मुझे कि केसरी जी ने जो कोशिश की हैं, उस कोशिश की तारीफ करूं या कुछ शिकायत को प्रामिल करके तःरीफ करूं। कांग्रेस मेनिफस्टो में जरूर कहा गया होगा लेकिन ग्राज तो खालिसन एक ऐसे इदारे का जिक हो रहा है जिस इदारे का जिक सिर्फ एक कम्युनिटी से, मुसलमान से हैं। उसका बुनियादी सवाल केवल एक है कि वनफ बोर्ड की जायदादों की हिफाज**त** के लिए क्या कदम उठाए जाए, महफूज कैसे रखा जाए? क्या हमने उन तमाम एरियाज पर नजर डाल ली कि जहां से वक्फ बोर्ड की जायदादों से बेंतहाशा पिलफरेज हो रहा है ? मुसलमान वक्फ का जिक है। मुसलमान वक्फ की जायदाद की हिफाजित का जिक्र है। अगर किसी हिस्से में, किसी एक दायरे में इस जायर दाद पर लुटमार मची हुई है तो उस जामदाद की उस लुटमार से बचाने का सकल है। यह जायदाद गरीब मुसलमानों की, मुसलमान बेबाग्री की, मुसलमान यतीम बच्चों की अभावत है। उसमें अगर ख्यामत हो रही है तो इस बिल के लाने में उस ह्यानत से इस जायदाद की महफ्ज रखने के कौन-कौन से तरीके रख गए हैं, मेरी राथ में पूरे नहीं रखे गए हैं। यह बातचीत शुरू होने से पहले मैंने ग्रजे किया था, दस बरस की कोशिश जरूर रहीं होगी । वह कोशिश जारी रखी गई दस बरस तक, मैरेथम है, दाद देता हूं स्टेमिना की लेकिन जो ग्राखिरी शक्ल हमारे सामने ब्राई थी, बिल के साथ इरेटा इतना लंबा था कि उसको पढ़ना नामभिक्ति हो गधा था, दरखास्त की गई सदर साहिबा से, सेक्रेटरिएट से ग्रपने कि इसको, सबको इक्षट्ठा करके और छापकर लाया जाए । दो दिन की कोशिश में, में दःद देता हं सेकटरिएट की कि वह इकटठा

करके, तनाम इरेटा को धलग करके मौर **बिल को छापकर ले** ग्राए । पढ़ने का मौका नहीं मिला उसको ठीक से । उसके बावजद भी अमेडमेंट्स बहुत सारी आपकी खिदमत में हः जिर हैं। मैंने सभी यह कहा कि मैं बहुत न जुक ज़मीन पर इज्रहःरे-स्थाल कर रहः हूं । इसलिए कर रहा हूं कि ठीक वे लोगे जो वक्फ की जायदाद के इंतजाम में लगे हए हैं, उनकी बदर्रत जामी ने बेलहाशा वक्फ की जायदादों को नुकसान पहुंचाया है। अब भी कोई उसमें मुनासिब धंदोबस्त किया गया हो, मझे ऐसा नजर नहीं अता है। में कुछ चीजों का जिक करूंगा। एक बात का भीर जिक्र कर दूं, कुछ तजवीओं के बीच में ब्राने से पहले । यह सैक्यूलर ऐक्टीविटी का, जहां आपने मैनीफैस्टो की बास की, सैक्यलर ऐक्टीविटी के क्या मायने हैं ? थे नहीं समझा हूं। कोई स्कूल ग्रगर कोई वक्फ बोर्ड खोलता है और उस स्कूल में हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई बच्चे पहें, बिल्कुल मुनासिब है लेकिन तमाम ऐक्ट का गवर्नेस मुस्लिम लः के मातहत होता, श्राई डोंट नीं; किस-किस किस्म की चीजें हैं झौर किस-किस किस्म की नारा-जनी को हम मिलाना चाह रहे हैं। यह वक्फ खालिसन मुस्लिम कम्युनिटी के श्रीकाफ हैं, यह तमाम श्रीकाफ बुनियादी तौर पर मुस्लिम कम्यूनिटी की ही असानत है, इन श्रीकाफ का तमाम मैनिज-मेंट मुस्लिम ला के महहत ही होना है, सैक्यलीरज्य का लफ्ज कहीं से आ गया? पहाँ सियासी न राजनी की क्या अरूरत है ?

भी सीताराम केसरी : अध्यकी वजह से ।

श्री सिकन्दर बदतः आपने बहुत जहां-नत की बात की तो में समझ लूगा । यह-समझ में नहीं आयी मेरे ।

उपसभापति : यह कौन से पेज पर है सैक्यूलरिज्म ।

श्री सिकन्दर बस्त : मैं बता रहा हूं, पढ़ रहा हूं। इस वक्त पेजिज मेरे सामन हैं, मैंने सीधे नोट ले रखे हैं। लम्दा बीड़ा है, सैक्यूलरिज्म का जिल्ल है इनके धहाँ। आपको पढ़ने से नजर मा जाएगा।

बही तो मैं बाह रहा हूं कि इसको पढ़नः दुश्वार हो गया है। मैं, सदर स हिवा, दो-चार वातें, दो चार तजवीजें रखना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरे साथी ने कह दी हों, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। पहली बात तो क्लाज 32-(4) श्रीर (5) की मातहत बात है। वह शायद लिखा हो तो मैं बता ही दूंसदर साहिबा शापको सैक्यूलरिज्य की बात।

उपसभापति : मिल गधा है मिस्ले-नियस 47 में ।

श्री सिकादर वस्त : क्या मतलब है इन बातों का । यह, क्लाज 32, (4) (5) की बात कर रहा हूं, जहां अपने आपिंग सैंटर, माकिट और फ्लैट्स वगैरह का जिक किया है, वहां मेरा सवाल यह है.

उपसभापति : महीं, सिशन्दर बका साहब, वह एक्सप्लेन केसरी जी तो करेंगे, में जो समझी हूं कि जहां तक रिलीजियस ऐक्टीबिटीज का सवाल है, जैसे दरगाहीं पर जो निधाज होती है या मस्जिद में नमाज होती है या मदरशे चलते हैं उसते। अलावा

श्री सिफान्दर बद्धा: मुझे मालूम है, सोशवा इकानांसिक, एजुकेशनल ऐंड अदर ऐक्टी-विटीस मैंने पढ़ा है सभी बातों की । मेर कहमा है कि इसमें कोई न राजगी की अरूरतं नहीं थी । यह जहन में रखिए । म्यलमःनों की वक्फ जायदादों की हिफाजत ग्राप उसका जिक्र करने की कोशिश रहे हैं, वहां सियःसी नाराजनी से ये वातेंपक होनी चाहिए, यह मेरा ख्याल है । मैं कुछ तजबीजें रख रहा हूं कि जो मैंने नजिल्हा की बात कही है। मृतवल्ली का लफ्ज बहुत मुहुतरम लक्ज है लेकिन बदिकस्मती से उनकी मौज्दगी के बावजूद नुकसानात पहुंच रहे हैं। ग्रापने जहां श पिग कांप्लै-क्सिज वर्गरह, माकिट बनाने की वात की है और उनकी हैंडग्रोबर कर रहे हैं ग्राप मतवहिलयों को, तो मैं जानेना जाहता हूं

कि इस पर बोर्ड का कितनः कंट्रोल होगा? मेरी राथ है कि यह बोर्ड के कंट्रोल के बहर नहीं होना चाहिए । में बातें करता चल-रहा हू, मेरा भरपूर भाषण देने का इरादा नहीं है । क्लॉब 33 की बात है जहां ग्रापने कहा है कि

Clause 33. Making a mutawalli or any officer or other employee working as chief Exective Officer will first have to deposit an amount for making an appeal against the tribunal order in case of arrest for a particular misappaopriation of funds committed.

यह क्या सोचकार रखागया है ? चीफ एकजीक्युटिव ग्राफिसर के श्रहकामात इस कदर भरपूर होंगे। उसकी तःदीवी कार्य-वाही करने का क्या तरीका कर रखा है अध्यने, मुझे उसमें कुछ नजर नहीं अता है। ऐसा लगता है कि जो चीफ एक्जी-क्युटिव अ।फिसर का लफ्ज है, वह किसी भी मायते से, किसी भी वैल्यु से अल्खिरी लपज है, उसके मांगे कुछ किया नहीं जा सकता है। यानी बोर्ड को भी अध्यन वहांद्सरा दर्जा दिया है। क्लाज 44 की बास है, जहां ग्रायने कहा है कि 50 हज र रुपये सालाना से ऊपर की सामदनी का द्विसाव-किताव म्लवल्ली महब की बोर्ड के अध्रवल हे लिए भेज देना चाहिए । थानी कितना भी एक उन्ट हो. पूरे का पुरा एकाउंट बोर्ड के पःस क्यों नहीं ग्रानः चोड्डिए, अप्रवृत्तल के लिए 🕆 यानी गुजाइश श्रापने छोड़ दी है कि 50 हजार रुपये सालाना से कम की भ्रामदनी हो तो मसबल्ली इसमें जो चहें सी करें। हो रहा है, उस्टा सीधा । इसमें छोटे बडे का सवाल नहीं है । निहायत गड़बड़ हो। रही है। ग्रफ्जल सःहब में मैं बैठे बैठे जिल कर रहा था। मैंने उनको एक किस्सा सनाया कि 1977 में पंजाब वक्क बोर्ड के पास कई सौ करोड़ रुपए होने चाहिए थे। लेकिन सिर्फ 40 लाख रुपये उसके पास ये । ते. की रुपया कहां गया े वह रूपये किसी मुस्लिम इस्ट. किसी मुस्लिम वेलें फेयर एक्टिविटीज या किसी मुस्लिम सरसे के लिए इस्तेम ल नहीं किय. गया । कहां गया े इसलिए जो इंन्यामी होचा है, उस इंतजामी होचे के ह यो तक्फ की प्रापर्टी को बरवाद होने में शेकने का बंदो-बस्त पूरी तौर पर अरना चाहिए । लिहाजा जैहन पैवा करने के लिए कि वक्फ का एक पैसा भी जाया न हो उसके लिए यह अरूरी नहीं है कि 50 हमार रूपये में कम की श्रामदनी हो तभी यह किया जाए, वह किया जाए।

इसी तरह ने क्यांज 72 है। जहां अपने कहा है कि 60 परसेंट फ्लैट रेंट रखे हुए हैं। जो मुतवल्ली हजरात हैं वे वक्फ बार्ड के साथ, सब जगह नहीं, जहां कम मामदनी है, बहां 60 परसेंट है और जहां आमदनी ज्यादा है वहां जहां लाख, पांच लाख की आमदनी है, फ्लैट रेट करेंगे तो अपकाः कड़ोल होगा।

गायद मेरा स्थाल है कि यह बत र म रतन राम जी ने कही है कि जिस तरह में सित्रिल कोर्ट की बार किया है उसी तरह से लैंड कोट की भी वक्फ की आयदाद से बार किया जाए। लिभिटेशन का जिक किया है। वक्फ की जायदादों को लिभिटेशन की कैंद्र से रोकिए।

जन्दी जल्दी मैंने कुछ बातें नोट कर ली हैं। मुझे श्रंदाजा नहीं है कि बक्फ बोर्ड के सिलसिले में जहां जह लू-पोल्स हैं, वक्फ बोर्ड की जायदाद का लूटमार से कैसे बचाया जा सकता है, इसकी नरफ ध्यान दिया जाए। इन लू-पोल्स की हम कैसे बंद कर सकते हैं। मैं अ खिरी में शहूंगा कि यह कोणिश यकीनन काबिले दाद है। उसमें खुदा के बास्ते कम में कम एक तो श्रहसानात न। रखिए और दूसरा इससे सियासी गायला इसमें से निकालने की कोणिश कीजिए आपका बहुन बहुत जिक्का।

المنفرى معكذر بخت موهيه بردبش ا فسيس م - مجيد خاردُه الحَانا جابعةُ تعا ك كنياكيا كها كيا-ميرى بادئ ك موسيعه ميرم ساخق دام وتن دام جی نے انداد خیال كبا دودائتى امنؤمنىتىد ميرب ساحف موجوديس- كافي اجه يس-كرون الانكريسي مينيغييعيومين فروا كيالكيام وكالبكرآج ترخابعيا ايسيرد كاذئهمود بإبيع جسه إواحدت كاذكرم م

بنيادى معول عرف ايك سع كه وقف بودرد ى جا بيُواور سى مناظمت كيك كما قد المالما حِالِين بحفوظ كيسيد المُعاجات -كما بعن ان ثمام ایراز برننو دالی دیجاں سے قحف مہومہ یا ہیں۔مسلمان وقف کماز کرہے -مهان وقف يرحار دادي حفاظمت كاذمر يع- الركس جيف مين كسي (يك (الريمين اس جاربواد بردو می برد که بیم تواس جاینواد ک دس دوئے مادیسے بھلنے کا معول ہے۔ یہ جار در فربیب مسلمانو*ں ی مسلمان بولی* ی -مسلمان پتیم بچوں ک دمانشندم الر خيانت بهوبى بي تواس بل كوالدفيس اس خیانت میعانس جا زُداد کومحفهٔ طامکفنه ے کون کو نسید مریف کھے کھے میں۔ مری لاک میں پورے بہنی رکھے گئے ہیں۔ یہ باستجیت

^{† []}Transliteration in Arabic Script.

متروع مِونے سے بِیعے میں نے وفن کیا تھا۔ د مس برس کی کوئتمش فرود د می بهوگی- و ه كومشش جادى ديئ كى دس برمس تك "ميرييتن"مي*ه داد ديتابون اسيم*نا" كى ليكَن جوالخوى مسكل بعما ديد مسليفة كئ تى بل كرمسانية الريطا" اتنا كمباتها ك امسكوبچىعنانامىكى بموكئيا تما- درخوام كالمح صورماه بيد مسكية يعدا بغرائد الهكومييكي النكظا كرئزا ودهياب كرلا ياجليهٔ - دو دن كركوننسش مين داد دیتا میون میکریوی اید کاکروه النَّمَا كُرُكُمُ مَامُ ادِيثًا " وُ الدُّ كُرُكُ الد أوربل كوچهاب كرك أيي - بوصف كامرقع ميس ملااسكو عفيك سع العمك با وجور مبى دمنو منش ببيت معادی آيای خومت مين حاط بين مين فع ربي يه كيا كه مين بيت ناذسندمين براعهادخيال كزدمامهورالعيلية

كربها برب كد منيك وه بوك وقف كرجائزاد ئى انتظام ميں لگے موسئے ميں انتى بو انتظاى ن به تحاسمه وقف ئ جا رودوس مونقهان يهغياياس - اب بمي كوي مشامسب (معبق بذواست كياكي بو تحي ايسانغريس أتاب مين تجه جيزول كاذر كرونكا-ايك بات كاوردر ورون في تجواون كالما وردا ورون المالي كنصيب بدسيكوا ايكنيوي كالجهان كيغ مِنْغِدِيسِ*دُى باست ك "مىيكيوبرا يلييُ*ولى ك كيا سني س - مين نيس معينا مون-كؤي اصكول الركوك وقعف بورد كالعولتان ودامس اسكول مين معيذه مسلمان يسكه عیسیای - پیچیچعیی بانگلمنام ييكن تمام لايكث كأكودنس

منزی مسکندو بخت: میں بتا و ہاں 🍸 ہیں۔ دودکش کس تمسم کی نورے آن کو م ملاناچاه دریع پس پروتعندخاله مسلم كميون كاوتا ف سي يهمام اوقا بنيلى فوريرمسل كميونى كرمي امانتهي الناوقاف كالمام مينجنط مسلم لأك كحت بى بهونا جابية -ميكيوران كالغيط كهال سعة كالهديهان مسياسي نوه زن ک کیامزودسے -

نئوسیتادام کیسری: کپ ک وجیسے كيي بات ك توس معمج لون كا - يهعم مين مين آن عرب اب سعمايتي يه كون معيم بيم ير

- " wasterfles "-

بود دامو - اسوقت بييم يرسامن يں-ميں نے سيوھ نوسے نے ديکھ ميں كمباجول سي معيليو براذم "كاذ كريدان يهاں- آيئو برسفندسے ننز آجا کياگا۔ وہی تومیں کہہ *دیا ہوں کہ اسکو بڑ*صفا ضواد ميولياريه -

مين معور صاحبه - دمرجا رياش دوجارتجويزين اعتقاجا بهابهوب يبو سلتا بعد مرسانی فراردی مون-میں صف دوحوالہ ماہوں۔ بہی بات تو كالزمهم (ب) اورده)" كم ماتحت بات بع وه مشايد لکه ام تو مين بنا بي دون مرومادر اب كرسيكيوموازم كايات اپ سبعابتی: ملکیا بے مسلینیس

ىنىرى مىمكندى كخنت: كيا مىلىب يع ان باتون كا-ية كلاز برم (م) لاوراق"

उपसमापति : सिकन्दर बस्त सःहबः, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है इसलिए में कह रहा हूं कि जो 50 हजार रूपमें के ऊपर की इन्कम, नीचे की इन्कम-भ्रम-तौर पर वह उसी पर रखा है, वह सभी के **प्रैशर से सबकी** कात **सुनकार केस**री जी ने रखा है 🛊 सबके स.थ बातचीत करके (व्यवधान) नहीं, मृतवल्लियों से नहीं, क्राम लोगों में ।

और सिकान्दर खरुत : सदर सःहिवा, मी यह कहना चाहतः हूं कि यह जहन बनः-इ.ए, हमारी कम्युनटी का कि वक्फा की जायदद का एक पैसा किसी की बरबाद करने क हक नहीं। जहन बनाने की बात है। यह तादाद और कीमत की बात नहीं है कि कितना पैसा किसने दिया । एक एक पैसा अमानत समझा आए और उसमें खयःनत न होने दी जाए ।

الميترى مىكتورىخىت: صورصاحبى ميمكنا يلبنابون كذومين بنابي يمادى كدن كاكروفيف ي حائده د كا ايك مسه ى مات بعدية توادراور قعد كريات بنورس كدكتنا بسيدكسي بنعرما- ايك ايك بيسه اما نت سمع إجلي اور العمد خيا ننت ن مهدنے ومحکے - ۲

उपसभापति : इसी नजरिए को सःमन रखकर इस बिल को बन'ने में इसनः टाइम लगः क्यों सबकी बातों को मूननः पड़ा । ग्रलग ग्रलग वक्फ है, ग्रलग ग्रलग इसमें अर्थ कर्ने हैं।

[] Transliteration in Arshic script

धी लिकस्वर का 👙 📹 जो जट रहे हैं। גיט-[

Bill 1993

उपस्मापति । भार भलग भलग मसलत को भामने बाल लोग हैं। इसीलिए इतना दक्त लग. ।

श्री सिकल्टर बस्त : सदर सःहिवा, में एक बात और कहना च हता था कि जिस तरीके में भापने इसी घर्त रखी है कि जिया हराणात की नुम इन्दगी जरूर हो वनफ बोर्डो में, उसी तरीके से मैं दरस्यात कहना। वि: यह ग्रहने तसन्तुफ, सण्जादनसीन, सुफी मुस्लिम कुछ भी काहेए, वह भी हर वक्फ बोर्ड में क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी दर्गाहें करीब करीब हर बड़ शहर ग्रौर हर मुब में मीज़द हैं तो किसी सज्जा-दानसीन को वस्फ बोद में जरूर गखा जःए, यह मेरी दरख्वास्त है ।

و ۱۵ لیکسیلو زکنسدی جی *تو کریننگ*ے میں جو چلتے ہیں ایسکے ولاوہ ••••

ك و تعن حا مداد ون ك حفاظت آي المستكاذا كرانس كونشش كردسييي ومان معبيانسي نوه زني سعيه باتيو

Clause 33. Making a mutawalli or any officer or otter employee working as chief Executive Officer will first have to deposit an amount for making an appeal against the tribunal order in case of arrest for a particular misappropriation of funds committed.

بع جا لايف كدابدك ٥٠ فراد دويب نه بهوا بمسكة ن يم طرورى بنين بع كه ٥٠ بزاورميشي كاكل كامين موتبع يدكيا

مشايدميرا يهخيال بيوك يهراسهم رتن درم نه کهی سے کہ جسم مع سے معول کو تُوبادكياحانا بعالى على يىڭ ليندكوديث كو بى وقعنى كى الدادىيد با دكارك -« فميشننذ » كاذكركيابي - وقعف ى حافزان لو ممتند "كي قديم يعاد عركف-

جلعى جلوى ميس في يي باتين نوش كول میں- محصر الوالدہ بندر سے کہ وقف و محدے مىلىسىغ مىں جباں جا رسمہ فیصری دسطین بين وتعذ بود فرى جائزاد كوبوسف مارسع كيس يجايا جاسكتاب انكي فرنسدهان دياجليك. ان نوب حولس "كوم كيس بنوك مسكت ميں-

مين أخريس كمونكالديه كومفس تغيناً تخابلة ادبع-اسمين تواك وامسطه كمن كم ايك تواحسانات ن ركيعية اوردوسوا انس سيدمسياسسي مأ تليبراسمين سع ن الم المن الم المنسن المنعاد -ن لوسسس بهت منگرید] " منهمنسد" " منهمنسد"

تفوی مسکندو بخست: میدیصاحبهیں ايك باستامديكناجاستا تفاكريس لمريق الملف - مه كياجلك-يمي (بيف اليسى فتم كم ل تكى يبي كه مفعيده وشغرات للم مي نما تئزي خرورم و وقعت بويدون ميس اسى لمريقه يسعيس دوفنوامست كرونيكا ك يدابل تعدوف يسعياده نسيش يمعوني مسلم کی بی کیک وہ بی بروقف بوروس كيونكه بهمارى بؤى دو كابيل قريب قريب الرائد متمير اور برموب ين ويود بین توکسی ایک مسجاد ولیس کووقف بودد میں فرود است سے یہ مری در نواست سے F

> उपसनापति : इनकम बढ़े तो वही सबसे बड़ी बात है। केसरी जी इतना कर रहे हैं। उनकी कोशियों से कुछ हो जाए श्राप लोगों की मदद से तभी टीक रहेगा : गौतम जी ग्रभी भी कुछ रह गया है कहने के लिए ?

श्री सघ प्रिय गौतभ : उपसमापति महोदया. मैं यकीनन केसरी साहब के विधेन यक का समर्थन करने के लिए खड़ा हिया हूं। यह जम्मू-कश्मीर में भी लागु हो, यहां पर यह बात चर्चा के दौरान आई। मजहब की भी बात ग्राई । मेरा ग्रापन म्रकीदा यह है कि धर्म मजहब भीर रिली-। जन यह मच्छे हों या खुरे हों लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत बड़ी ताबाद में दुनिया के लोग इसको मानते हैं। जब मानते हैं तो हमें भी दुनियां भें रहना है ग्रीर उन धर्म भीर मजहबों के रहते हुन्

हमें अपने निर्णय लेने हैं। मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी धमं, मजहब हो अच्छाई किसी न किसी में कोई है और मेडम में आपकी तवज्जीह चाहूंगा खास तौर सें मेरें जज्बात को मद्दें नजर रखते हुए में अपने ख्याल के मुताबिक बुढिज्म की फिला स्फी किश्चियिटी का सेवा भाव इस्लाम का भाईचारा और हिन्दुओं की सहनजीलता यह चार विशेष बाते में मानता हूं। जब भुसलमानों के भाईचारे की बात में कहता हूं तो मुझे एक शेर याद आता है—

> एक ही सफ में खडे हो गड़े महमूदो-श्रयाज्

> न कोई बन्दा रहा और न कोई बन्दा मनाज ।

यही नहीं इस्लाम में और भी अच्छी बातें हैं जिनको मैंने देखा भी है ग्रौर जिनका मैंने तजरूबा भी किया है। मसलन खैरात इस्लाम में जरूरी है। ब्रह्लेइस्लाम मुस्लिम सुद महीं लेंगे ग्रौर लेते भी नहीं हैं बहुत क्रम लेंते हैं । मैडम् दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लोग खास तौर से मैंने मुस्लिम होटलों में खाना खाया है। एक ही जगह पर मुखतलिफ मजहब में यकीन करने वाले लोगों के होटल और मीन एक ही हों तो मुस्लिम लोगों के होटलों का बिल कम ब्राता है बीर वह मुनाफा भी कम लेते हैं। मैंने यह भी देखा कि तवलीब के लिए जाना भी जरूरी है। तबलीब के लिए भी लोग जाते हैं। यजहब में उनका इतना ग्रकोदा है। लिहाजा यह जो वक्फ है जैसे कि सिकन्दर साहब ने कहा कि ग्रापको याद होगा शाहवानी साहेबा के प्रकरण में यह बात ग्राई थी कि खर्चा खानगी कोई डाइबोर्सी को मना कर देगा तो उसे दक्त बोर्ड खर्क्य खानगी देगा । तो वक्फ की जायदाद की कहत कड़ी कीमत है इस्लाम के न्कतेनजर से। इस-लिए इसकी हिफाजत तो होनी चाहिये। ग्रब इसका दुरुपयोग भी कई तरीके से होता है। इसकी तरफ मैंने आपका घ्यान दिलाया । पर इसमें मुझे कुछ कमियां नद्धर श्राई। मझे एक वात याद श्राती है कि सन् 1954 में यह कानून बना, तीन बाए इसमें संशोधन हुन्ना 1959 1964 में **ध**ैर 1969 में 15 साल तीन

बार और 1984 में कम्प्रेहेंसिव बिल प्राया भ्रोर उस विल की मुखालफत बहुत ज्यादा हुई। नीयत साफ होनी चाहिये और काम-ग्रावास के मफाद का होना चाहिये। ग्रफज़ल साहब मैं भ्रापकी त्वज्जोह चाहता मैं ब्रापको एक कहानी सुनाना चाहता हं। नीयत साफ होनी चाहिये ऋौर काम ग्राबाम के मफाद का होना चाहिये ब्रालोचना तो होती होती है । एक बहुढा श्रौर एक बालक टटट लेंकर सफर को चले । पहले गांव में बुढ्ढा टट्टू पर बालक नीचे । गांव के लोग बोले इस बुढ्ढे को शर्म नहीं स्नाती। खुद तो ट्ट्टूपर बैठा है ग्रीर बालक को पैंदल चला रहा है । श्रमले गांव में बालक टट्टू पर श्रीर बढ़हा नीचे और उस गांव के लोग बोले इस बालक तो शर्म नहीं ग्राती खुद टट्ट पर श्रौर बुढढे को पैदल चला रहा है । अगले गांव में दोनों पैदल टटट खाली गांव के लोग बोले इन बेफकफों को देखो जब टट्ट्र सफर को जानाही था तो टट्ट को खाली क्यों ले जा रहे हैं अगले गांव में दोनों टट्टू के ऊपर बैठे बये। उस गांव के लोगों ने कहा कि इन दोनों को शर्म नहीं श्राती टट्टू की पीठ तोड़े डाल ∗है हैं । अपने गांव में जब पहुंचे तो दोनों नें टट्टूको अपनी पीट पर लोद लिया ग्रौर ग्रगले गांव के लोग बोले देखो बेवकुफों को टट्ट को पीठ पर लादे ले जा रहे हैं। भेरा कहने का मतलब यह है कि जितने तरीके टटट के साथ हो सकते थे उन्होंने सब ग्रपनाए लेकिन समाज ने उनको बख्शा नहीं बगॅर ग्रालोचना के। कोई भी विधेयक ग्राएगा या कोई भी निषंय जब होगा, प्रालीचना होशी नीयत साफ होनी चाहिये और काम मफाद का होना चाहिये । इसमें दो तीन बातें ऐसी हैं जो शक जाहिर करती हैं। अभो जैसे बेबी साहब चले ग्र इन्होंने किया कि अःमतौर से ये मजहबी इदारे या मजहब के डेग्रड ग्रांतकशादिलों के ठिकानों का शिकार बनते हैं। जगमोहन साहब यहां नहीं हैं उनका संदर्भ दिया उन्होंने । शायद जग-मोहन जी की नीयत इसके पीछे यही रही होगी कि अप्तर जम्मू काश्मीर में यह लागु हो जाता तो चरारे शरीफ आंतक-वादियों का अड्डा नहीं बनता । चुंकिः

यह मुक्तमानों के मुताल्लिक है और इसमें हिंदू, ईलाई, मिख का कोई मदलब नहीं है, इसलिए यह सारे देश में लागू होना चाहिए। शायद उनकी मंशा यही थी। आएने केवल पंजाब का जिक किया। यह तो मैंडम होगा ही होता लेकिन हमारे ऊपर मुनहसिर करना है कि हम क्या करते हैं।

दूसरी बात यह है कि जब वहां म्रांतकवादी छिपेंगे मौर मरकार हस्तक्षेप करेगी तो जैसे अभी अ।पने उददेश्य बताया केंसरी जो इस विशेषक को लाते समय तो उसमें भाषने यह भी कहा कि मसलमानों की तरफ में बड़ी भारी मुखा-लफत हुई. बढ़ा दबाव था 1984 में संबोधन विधेयक अने के बारे में 🖲 दखलंदाजी हो रही है भरकार द्वारा, तो माब मीप भांतकवादियों को पकड़ने जाएंने तो इसे भी लोग दखलंदाजी कहेंगे । इसलिए कोई ऐसा प्रावधान इसमें डालिए कि अगर आपको इन्फारमेशन मिलती हैं। कि मजहबी स्थानों में कोई आतंकवादी इक्ट्ठे होते हैं तो उनको तल। म करने का ग्रधिकार स्टेंट को होना चाहिए यह दखलंदाजी नहीं समझी जानी चाहिए कानन की निगाह में।

दूसरे, राजनीतिज्ञों की तरफ से पया सिंह जी ने इशास किया। मेरी भी यह मन्ना है कि एक तरक तो टाजनीतिज्ञों मे छटकारा पाना चाहते है और दूसरी तरफ विधायकों भीर सांसदों में से भापके वक्फ बोर्ड के मेम्बर निर्वाचित होंगें। तो इसमें इतदा मंशोधन कर लीजिए कि वे सांसद श्रीर विश्वेषक जिनकी तरक गया सिंह जी ने इशादा किया कि जो नामीनेटेड होते हैं। राज्यसभा में 12 मदस्य नामीनेटेड होते हैं। मैंडम मुझे दरूरत कर दें अगर में गलत है। जनाब मौलाना असद मदनी साहब भी इस सदन के मेम्बर थे, शायद वे नामीनेटेड थे। इसलिए कि उनके मजहबी दायरे से ताल्लुक है तो ऐसी एक पाबंदी इसमें लगा दी जाए **कि** पालिया**मेंट** के वे सदस्य . . .

उपसभापति : वे नामीनेटेड नहीं थे. इलेंक्टेड थे।

श्री संघ त्रिय गीतमः इसलिए मैंने कहा कि दुरुस्त कर दीजिए। उपसभाषति : भैने कर दिया आर्थिकः दुरूस्ता !

श्री संघ प्रिय गोतमः मै करेक्ट कर रहा हूं ग्रपने श्रापकाः। मैने ग्रापसे पहले इजाजत चाही थी। 'शायद' लफ्ज मैने कहा था। तो ऐसे लोग जो मजहबी इदारों से मृताल्लिक रहे हों ग्रगर वे जसेक्बली या पालियापेट में ग्राते हैं तो उनको ग्राप सेक्बर बना दें।

भ्रव श्रफजल साहब कहते हैं कि एक अकादमा 12 साल से चल रहा है। **मुक**-थमा करने आलों को नो हम केक नहीं सकते । अवस्री मस्जिद ग्रीर राम जन्म पिम पर 400 साल से म्कदम। चल रहा 👸 कोई फरीख मानने को तैयार नहीं है। बौद्धगया में बोद्ध और हिन्दुओं के बीच संबड़ों साल से मुकदमा जल रहा है और कोई मानने को तैयार नहीं। स्राप ाह कहिए कि दकील इसमें पेरोकारी करें। ग्रासल में वगैर फीस के वकील परोकारी नहीं करते हैं और वक्फ वाली के पास फीस देने के लिए पैसा नहीं होता बकीसों के लिए। इसलिए अ।प एसमें यह भी प्रायधान बनाएं कि जो ज्ञायके वकील पालियामेंट ग्रीर असेम्बली अस्बर हैं, अपनी कुछ की सेवाएं ऐसे मामलें के लिए दे। प्रावधान ऐसा हों और जल्दी इसमें पैरोंकारीकरों तो ये पुकदमें लम्बे दिनों तक नहीं रहेंगे ।

जहां तक केटरी जी की नीयत का ववाल है में उस पर धक नहीं करता। नेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा केसरी जी कि बोटों की मन्या नहीं होनी वाहिए किसी के पोछे। दो तीन विश्वेयकों में मैं देख वहा हूं। काफी दिनों से यह बिधेयक विचाराधीन है और 10-12 नाय से इसमें कदारत हो उही है तो आप इतने विलम्ब से इसे संसद् के सामने क्यों जाए । यह 1993 का है । भव दो साल के बाद इस पर क्यों वर्चा करा पहे हैं इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की और जब ग्रापको पहले से उनकी इतनी चिता थी तो इस बात ने हुई अ।पकी नीयत पर शक हो जाया करता है कि चुनाव नजदीक हैं इसलिए शायद ग्रापकी नीयत में यह बात रही हो बरना अगर नीयत

The Delhi

सही है तो इस पर चर्चा आपको पहले करानी चाहिए थी। भैं ग्रापसे यह निवेदन कहंगा । खंर, देर ग्रायद दुरूस्न ग्रायद । एक ग्र÷छा काम लेकरग्राए । मैं तो यहां तक कहने को तैयार हं, मेरे लीडर बैठे हुए हैं सिकन्दर बब्त साहब, उनसे इजाजत लेकर...। उनमें इजाजत ले करके कि वक्फ की जायदाद महफ्ज रहे. कब्रस्तानों की की जरूरत पड़ेगी । जगह बहुत कम हो रही है, स्कूलों की भी जरूरत पड़ेगी । इतनी आबादी बढ़ रही है। कहां से हम कथुस्तान लागेंगे रे.. (व्यवधान) अप मुझे बताइये कि इतनी भावादी बढ़ रही है तो कहां से कबस्तानों के लिए जबह ग्राएमी ? ग्राप मुझे गलत मत समक्षिए । .. (ध्यवधान) तो इसलिए वक्फ की जन्ददाद महफूज रहे उसकी इबाहत हो, स्कल भी उसमें बनेगे आर उसमें यतीमखाने और मुसाफिरखाने भी बनेगे। लोग कहां आ करके टहरेगे? जिनको आप कहते हैं रेन बसेरे, जो लोग बगैर मकान के रह रहे हैं ने ऐसी जगहां पर हो तो रहेंगे। तो मुसाफिरखाने बने, यतीमखाने बने स्कूल वने शिफाखाने बने. कदस्तान के लिए जगह हो । इसलिए इसकी हिफाजन होना बहुत जरूरी हैं। तो ग्राप एक प्रावधान इसमें सजा का नहीं डाला है आपने बहुत से उसमें अगर कोई मृतलवी जान वृझकरके ग्रगर इसकी ग्रवहेलना करता है कानून की, मैंने पढ़ा नहीं है, हो सकता है कि मुझे ग्राप दुरुस्त कर देने ... (व्यवधान) अल अला है संशोधित तो लिहाजा ध्रगर इसमें प्राव-धान है तो वैल एंड गुड और अगर नहीं है तो कोई ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि जो इस कानुन का उल्लंघन करेगा वह कानन के इरादे में सजा यापूला होगा।

मैं भ्रापके बिल का समर्थन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद ।

उपस्थापति : ग्रमी केसरी जी, इस पर भावण जितने लोगों को करना था वह तौ पूरे हो गए। देशर धारसम श्रमेंडमेंटस, इसमें काफी समेंडमेंटस श्राए हैं श्री राम रतन रामजी की तरफ से तो बहुत 50 अमेडमेंट्स हैं। 50 नहीं हैं कछ कम हैं नंबर 33 के लिए कांग्रेस के मैंबर ने भी

दिए हैं। दे फील इसमें वह कहते हैं कि ग्रगर ग्राप उस पर गौर कर हैं छोटो-छोटी चीज हैं कोई खास नहीं हैं।... (व्यवधान) लेकिन कुछ थोड़ा में श्रापको बता दं कि किस पर ग्रमेंडमेंट हैं। भ्राप बोलगे तो उसमें ग्रापको ग्रामानी रहेगी। ... (स्थवधान) अमेंडमेंट जो यह बोल रहे थे कुछ छोटी-छोटी एक ग्राध वई का है। एक तो श्री राम रतन राम जी ने क्लाज 3 पर अमेंडमेंट दिया है । पेज 2 पर लाइन 2 में आफ्टरदा वर्ड बैनिफिशरी यह कहते हैं कि,

After the words "beneficiary" means a person the words not being an unauthorised occupant, tenant or elssee in wakf"

मतलब किसी ने ग्रनग्रथोराइण्ड कब्जा किया है, कोई टेनट है. .. (ब्यवधान)

भी सीता राम केसरी : महोदया में इस पर कह देना चाहता हूं। महोदय, में बहुत सारे माननीय सदस्यों की बातों को बहुत गौर से सून रहा था और सिकन्दर बख्त साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने यह कहा कि उन्होंने पढ़ा नहीं मगर पूरे पन्नों को उलट करके हमारे सामने रख दिया इसके लिए मैं सुन्निया श्रद। करता हूं । दूसरी बात् में ज्यादा संबी-बौड़ी तकरीर नहीं देना चाहता हं श्रीर मौतम जी ने ठीक ही कहा कि नीयते होनी चाहिए और उनका इतमीन। सम्मर मेरी नीयत पर है तो स्वागत है, नहीं है तब भी स्वागत है और यह बिल तकरीबन सभी मुस्लिम भाइयों से बात हमने की हैं, इसमें समय लगा उन्होंने कहा कैसेंसस के लिए समय लगता है और अगर हम समय नहीं लागते जल्दी में लाते तो श्रापने देखा कि मंडिल कमीशन की घोषणा पर कितना विशाल बवंडर हो गया । मगर ्रइम्प्लीमेंटेशन श्राम सहमति के भ्राष्ट्रार पर किया गया तो कहीं वर्द**ड**र नहीं हुआ। । इसलिए आम सहमति की श्रनिवार्य श्रावश्यकता होती है । महोदया, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता मगर यह बिल खुद शुद्ध है, साफ है और गारंटी के साथ है। गया सिह जी ने ऋपने विचार रखे थे यह कहना चाहता है कि जहां

तक लोकसभा के सदस्य का सवाल है. राज्यसभा के सदस्य का सवाल है नुमां-दगी उनके हाथ में है। ये सभी लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज का जिस समाज के संबंध में मुझे यह बिल लाना पड़ा है । इसलिए इसमें हमने सारे प्राब-धान रखे हुए हैं। जिस स्टेट का जितना पॉपुलेशन है उसके ब्राधार पर 7 से 13 सके सदस्य उसमें हो सकते हैं। जहां तक कानुन का सवाल है श्रयर कहीं यध-बहिया होंगी तो उसके लिए भी ट्रिब्युगल का प्रवंध है।

महोदवा, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने संक्षोधन लाने की बात कही। तो मैं यह कहना चाहता है कि इतनी बार्ता के बाद इतने डैलिवरेशस के बाद, कंसल्टेशंस के बाद हम खद संशोधन लाए हैं फिर बात होने पर । तीन चार संशोधन मैंने खुद किए हैं बिल पेश करने के बाद । में यह भी कहना च।हता हूं कि विल वेश हुए तकरीबन 5-6 महीने हो गए, मैंने हमेशा कोशिश जल्दी-से-जल्दी काम करने की की है। अफजल साहब ने ठीक ही कहा वक्फ की शापर्टीज के संबंध में : ग्रगर यह नहीं सोचा जाता नहीं समझा जाता और नहीं जानकारी होती कि वक्फ प्रापर्टी जो कि मुसलमान भाइयों का धार्मिक स्थल है उसका किस तरह मे नाजायज लाभ उठाते हैं, मैं ज्यादा द्र तक गए बगैर इतना ही कहंगा कि प्रॉपटी से समाज को और मुसलमान भाइयों को जो लाभ होना चाहिए था वह नहीं हो पाया और यही वजह है कि यह बिल सन 54 में भी आया, 84 में भी अध्या और **ग्राज 95 में यह दिल लेकर हम ग्रापके** सामने प्रस्तुत हुए हैं। श्री राम रतन राम जी का जो संशय है मैं कहना चाहता है कि इस में संध्य का स्थान नहीं है। संशोधन के सबंध में भी मैं निवेदन करूंगा कि म्राप पून: बिल देख लीजिए । मैं मानता हं कि ग्रापने इसे पढ़ा है ग्रीर यह संशोधन लाए हैं मगर में कहना चाहंगा कि हमने सभी मुसलमान भाइयों से बात की है, मिनिस्टर्स से बात की है, स्टेट के कैंबिनेट मिनिस्टर्स से बात की है, वनफ कार्शिल के सदस्यों से बात की है श्रीर सभी लोगों से बात करने के बाद हम वह बिल लाए हैं । इसलिए मेरा भाष से मन्रोध है कि ब्राप ब्रपने संशोधन को देख लीजिए कि जिन वातों को इसमें रखना है, हमने रखा है कि नहीं ? हमने साफ तौर पर रखा है।

महोदया, जहां तक जनतातिक व्यवस्था की बात है, उसके लिए जो इलेक्टोरल मण्डल हो सकता है, वह हमने दिया है। जहां तक पहले कमिश्नर को ताकत थी, ग्रब जो एक्जीक्यूटिव होगा उसको मेंम्बर की हैसियत नहीं होगी । जहां मेरे भाइयों ने चेयरमैन को हटाने की बात कही, उस बारे में भी मैं कह देना चाहता हूं कि चेथरमेन हो या सदस्य हो, जब तक कि उनके व्यक्तिगत चरित पर कोई गहरा **ग्रारो**प नहीं होगा, तब तक उन पर चेंज लागु नहीं होगा । उनको हटाने का प्रश्न नहीं उठेगा । तीसरी बात यह है कि ग्रब तो यह हर स्टेट में, श्रपनी ग्रपनी स्टेट में बक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जो बोर्ड बनेगा, वह उसकें। देखेगा, उसको समझेगा, उसमें जो खामियां होंगी, उस पर वह विचार करेगा । वह बोर्ड स्वतः एक ग्राटी-नोमस बोडी होगा । उस पर किसी के हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता है । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बिल कें ज्यों का त्यों पास कर दें।

मैडम, हम यह मानते हैं, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि कितनी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । जब कभी बैठे हैं, मतभेद हुए हैं । फिर बुलाई है मीटिंग, फिर बुलाई है मीटिंग। एक नहीं, कम से कम 23 मीटिंग लोगों के साथ की हैं क्रीर इन सभी लोगों से बात की है।

मैडम, एक चीज ग्रीर हमारे भाई ने चनाव मेनिफेस्टें की कही । मैं इस पर साफ कर देना चाहता हूं कि कोई भी दल सत्ता में होता है, हमारा दल होता है या अपने भी दल होंगे, जब आपके मैनिफेस्टों में यह घोषित है तो निश्चित रूप से ग्राप कहेंगे कि भाई, देशवासियों के सामने हमने म्रपने घोषणा पह्न में घोषित किया था, इसलिए वह ग्रापके सामने पेश कर रहे हैं। ऐसी अपनी सफाई देते हैं । इसका लाभ, नहीं लाभ, वह दूसरी बात है।

हमारे सिकन्दर बस्त साहब ने सेक्ल-रिज्य की बात कही । मैं यह साफ कहना चाहता हुं सेकलरिज्म के संबंध में, कि यह बड़ा भारी इंटरएक्चुअल वर्ड है और बहुत साधारण शब्द भी है । साधारण शब्द दुख और मुख, या जो भी कहिए, मेरी जिंदगी की संख्या है, में तकरीबन 78 से उत्पर हो चुका हूं, 65 साल से ज्यादा मेरी राजनीतिक जिंदगी रही है, आजादी की लड़ाई में हमने गांधी जी से जा सीखा, जवाहर लाल से सीखा, वह सेक्लरिज्म में जानता हूं। मैं किदाबों के सेक्लरिअम की नहीं जानता हूं।...(व्यवधान)

श्री स्तिकन्दर वस्त : सदर साहिबा, मैंने सेकूलरिजम के लफ्ज पर एक बात एतराज की नहीं की है, उसमें ग्राप तकलीफ क्यों फरमा रहे हैं ? ... (ब्यवधान)

فرماريع مين . • "مواظلت" • • • श्री सीता राम केसरी : मैंने सुना, भापने कहा । ... (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बहुत : यह बेमीका इस्ते-माल करना है। ... (भ्यवधान)... सदर साहिया, मुझे बहुत ज्यादा एतराज है इस बात पर ऐसा लग रहा है कि मैं सेकुल-रिज्म का मुखालिफ होकर खड़ा हुआ। हूं । सवाल यह है कि ग्राप एक टैक्नीकेली गलती कर रहे हैं। मैंने उसकी तरफ इक्सारा किया है। यह इतनी ज्यादती मत कीजिए धेरे साथ।...

†[مثنری مسکنود بخست: یهبرم موقع (مستیال مجع ببیت زیاده ا التراض بعاس بات بر-اليسالك راج عاكم مين معيكو مرازع كامخالف مهوير فكوام وإيها معوال يديعكم أسابك لنيكلي فحلفى كروسع بين يمين في اسكى دف امندا مده کشاری - بردادهی نریان مست كيعيدُ مرساته ...

श्री सीला राम केसरी : नहीं, म कोई ज्यादती नहीं करता । अगर मेरे शब्दों से किसी भी माननीय सदस्य को चोट लगती है तो मैं साफ तौर से कहता हूं कि मुझे दुख होगा । चूकि चाहे तो मैंने कान में गलत समझा या चुकि मैंने जैसा कहा मैं पढ़ा-लिखा ब्राह्मी है, जरा कम समझा होगा, मगर सेकूलर शब्द इस्तेमाल हमा है। वह वहीं मैंने समझाहै, जो 65⊸ 66 साल की सियासत की जिंदगी में मैंने पढ़ा है।

भी सिषत्वर वस्तः सदर साहिवा, मेरा सक्ततरीन एतराज रजिस्टर किया जाए । मैंने सेकुलरिज्म के शब्द की रसी वराबर भी मखालफत नहीं की है। यह क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे है? आपका जो भी उसमें रहा होगा, उम्म भर आपने उसमें गजारी है, खदा करे उस लक्ज का साया ग्राप पर कायम रहे। हम भी दुग्रा मांगत हैं, लेकिन टेक्नीकली गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है उस लफ्ज التنيئ مسكندد بخبت مسيرصاصه يراسخت ترين اعتراض احبستركيا جليخ جكر المعتبول كما حاد ماسير -إمعن لغظ كوك

श्री सीता राम केसरी : ठीक है ।

मिस्टर वेबी साहब ने एक बात कही.

उसके लिए में उनको एरपोर करता हूं।

उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगल में एक
लेटर 1993 में श्रीमा था सबफ बोर्ड के
नबंध में, मुझे दुख हुआ यह मुनकर कि
हमारे यहां से जवाब नहीं गया । मैं इसकी
प्रोपर इन्कायरी करंगा । मैं आपको
। एस्पोर करता है।

उपसभापति : केसरी जी, भीने पढे हैं. सरकार की तरफ से खुद 21 भ्रमेडमेंट हैं। में एश्योर हं, वह इसमें खुद ही क्रा गए होंगे। यह जो घो रिजनल जिल है, इसमें खुट 21 अमेंडमेंट लेकर अंग् हैं। अप देखिए ।...(व्यवधान)... वह जो संकूलरिज्य की बात कही है, वह मैं जरा एक्सप्लेन कर दे। वह इस सिलसिल में है कि वक्फ की जो प्रोपटी है, जैसः मैंने यहले कहा, कि उसमें जो दरगाह हो**ती** है, मस्जिद होती है, उसकी एविटॉवटी छोड़कर उसके मलावा भी वहां ग्रगर कोई इकानोमिक एक्टिविटी होती है तो। वह रिलीजियस नहीं हुई, वह सैकुलर ही हुई। तो उसके सिलसिले में यह जफ्ज इस्तेमाल हुन्ना है। यहां तंक भेरी समझ में ब्रायः हैं।

श्री सीताराम केसरी : ग्रापने ठीक कहा । माननीय उपसभापति जी,.... (व्यवधान)...

उपसभाषति : अदर इक्नॉमिक एक्टीबिटी । किराए पर दिया, कोई उसमे अ:दमी . . (श्वतधान) . . .

श्री संघ प्रिय गौतमः । यह संकूलर नहीं है मोशन है।

जनसभापति : कोई सोशल एक्टिविटी हो, रिलीजियस एक्टिविटी में अलेहदा करके मतलब है। उसमें दखलंदाजी न हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए यह अब्द इस्तेमाल हुआ है, जहां तक में ममझती हूं।

भी सीता राम कैसरी : अहां तक एन्क्रीचमेंट का प्रथम है 30 स.ल की सेवा

राम रतन राम जी रहते हुए हमारे ने कहा, उस सवाल के सबंध में में इतना कहना चाहता है कि 30 साल की सीमा है और एक भीज कोर में बतानः चाहता हं कि ग्रभी इस जिल के बाद भी ग्रगर आवश्यकता समझी गई. त्योंकि बहुत सार्ने वक्षा की प्रापर्टी कुछ ऐसे लोगों ने, जैसे हमारे मफजल साहब न कहा कि फ़ाइव स्टार होटल है या कोई स्कूल हैं वक्फ की प्रापर्टी पर, मैं मानता है कि यह दुख की बात है और इस तरह से एक ही जगह पर नहीं सारे देश में वक्फ की प्रापर्टीज पर लोगों ने एन्क्रोच कर रखा है। यही वजह है कि यह दिल भ्रापके सामने,भापके पास सभी लोगों की राय से पेश है, इन सारी चीजों को ग्राइडेंटिफाई भी किया जाएगा, यह भी श्रावश्यकता है । इस बिल के घलाया भी सरकार की तरफ से मैं भहतः हूं कि उन प्रापर्टीज को हम आइडेंटिफाई कराएंगे और देखेंगे, यह मैं आपको एश्योर करता ह।

मेरा इयः ह है कि मैंने सारी चीजों को प्रापकी खिदमत में रखा है और मैं यह निवेदन करता हूं कि इस बिल को ज्यों का त्यों ग्राप पारित कर दें। यहीं मेरा प्रस्ताव है, यही मेरा निवेदन है।

भी सिकन्टर घरत : सदर साहिता, एक मिनट । एक बात है, ग्राई एम साँरी।

النفوی معکنود بخت میدوصاحبه - (یک بامت سے - ای اربم - معمادی E

उपसमापति : जब में तीसरी क्लाज १९ ग्राऊंगी तो ग्राप बोलिएगः ।

श्री सिक वर बहत : नहीं, यह तीसरी क्लाज की बात नहीं है. में जनरली उनसे कह रहा हूं, में चाहता नहीं कि इसमें ज्यादा उनझाँ पड़ें। लेकिन वक्फ प्रापर्टीज की हिफाजत के लिए जो बातें जरुरी हैं, वे तो माननी चाहिए। मैंन ग्रापमें क्लास 108 का जिक्क किया है, मिनिस्टर साहब को उसको मान लेने में क्या दिककत है? अगर बाकई वक्फ प्रापर्टीज के लिए बे बहुस मिनिस्टर किए हैं तो एक हमारा

मध्यरा भी शामिल करें उसके अंदर कि क्लाज 108(32) के लिए जो श्री राम रतन राम जी की अमेंडमेंट्स हैं, उनकी मेहरबानी करके मिनिस्टर साहब मंजूर

करें। वह वक्फ प्रापर्टी की हिफाजद के लिए बुनियादी बात है ।

[[مث*نون معلکودیخت*: بہیں *یہتیسری* رک باحث *ب*نیوسے -میں جنر*ی اوں س*

۱۳۶۴ بروی میلی می همین همین ۱۳ میسی میرد البچهنده برایس -لایس وقع*ث برابرمبز*ری ۱۳ مالای کاروره زانه مانده می تراه

مقاملت بسبط بوب بين برورند پين وره ۱ ماننی چامپيئر - مين نه اژب سنځ کلانداوا" در د ري

كادر كياب مسترصاطب تواسلومان ليفيمس كياد قت سه - اررور قري وقت

گرا برگیز<u>گیل</u>ے وہ بہت مشعرہ کے بی توا یک ہمارا مشورہ بی *شامل مر*یں

(<u>سیک</u> دندکت کلافه۱۰۱ "(۱۷س)کیلئے جو مندی راہ رتن رام چی کارمز مند سی

انکومیریان کوئے مندرصاحب منتقوار انگر میریان کوئے مندرصاحب منتقوار

بنی*ادی باست ہے* ۲

श्री सीताराम केसरी : क्या है वह?

उपसभापति : क्लाज 32 में 15 पेज पर लाइन 32 के बाद एक इन्सरशन चाहते हैं । आप जरा वह खोलेंगे तो बत्।ऊंगी ।

भी सीताशम केसरी : देखिए, एक चीज में फिर कहता हूं आपसे कि यह जो स्टेट बोर्ड होगा, स्टेट बोर्ड जो बनेगा, जो कि भटाँनिमस बॉडी होगी, उसको अथॉरिटी

[] Transliteration in Arabic Scrip.

होगी कि हर तरह से वह निर्णय ले सकतः है। हम उसको अथॉरिटी देने जः रहे हैं स्टेट बोर्ड को और स्टेट की पापुलेशन के अनुसार स्टेट बोर्ड को और स्टेट की पापुलेशन के अनुसार स्टेट बोर्ड की स्ट्रेंथ होगी—कहीं 7 होगी, कहीं 13 होगी। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए 13 होगी और हरियाणा जैसे प्रदेश के लिए हम 7, 8 या 9 कर सकते हैं। इस तरह से वहां पर स्टेट का बोर्ड है, उसमें सारी पावर निहित है और उन पावर के अतर्गत सभी एकशन ने ले सकते हैं, नहां के हालात के अनुसार।

भी संघ प्रिय गौतम : नहीं लिमिटेशन का पीरियड है, पहले 12 साल होता था, श्रव कर दिया 30 साल । श्रापका श्रमेंडमेंट यह है कि वक्फ की श्रापटीं पर कोई लिमिट उसकी नहीं होनी चाहिए +

Every person whosoever is in Pos sion of Wakf Board property shall be liable for ejectment. No State Board can over ride this Act.

७पसम।पति : ऐडवर्स ग्रःप उस गर बोलिए, बतः दीजिए न । (**अवधान)**...

श्री सिफन्दर बरत : मैं यह कह रहा हूं कि राम रतन राम साहब के अच्छे-खामे 20-21 अमेंडमेंट्स हैं। मैंने तीन अमेंडमेंट्स के बारे में खास तौर से जिक किया है जो कि वाइटल है वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी को महफूज रखने के लिए। फर्ज कर लीजिए कि आप उसको देना चाहते हैं, इसी ऐक्ट में दीजिए, क्यों नहीं देते हैं ? वह लिमिटेशन की बात है, 108 है, वह भी पिइए उसके अंदर है, वाइटल है, वक्फ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत के लिए फिर बनवाइए आप। समझ में ही नहीं आता है।

الفرى سكند بخت مى يهم دايل كدام دس معلى بسكافي خاص ۱۱-۲۰ ا امن استسس ميس خدم امند منشس كم الدے ميں ذكر كيا بع جوك واكتابي وقف بولدي برابر في كو محفظ كل كيا

میں ہی توس (واجع -

उपसमापतिः Let me read page 15, Kesriji,

पेज 15 पर क्लांज 32 जो है, उसमें यह ऐंड कर रहे हैं केसरी जी, पेज-15 पर जो क्लॉज-32 है। उसमें यह ऐंड कर रहे हैं:

"After the line 32, the following should be inserted, namely: — where the Mutawalli is not willing or is not capable of managing the wakf properties referred to in sub-clause (vi) to the satisfaction of the Board, the Board may appoint any person to act as Mutawalli for such period and on such conditions as it may deem fit,"

[] Transliteration in Arabic Script.

यह चाहते हैं कि इसमें यह सब-क्लॉज ए करें। उसके बाद 108 के बारे में है। मैं पढ़कर बतलादूं, तो समझ में ग्रा जाएगा ।

भी सीताराम केसरी : मेरा अधिसे फिर यह कहना है कि ग्राप क्लॉज बाइ क्लॉज लें। वहां जब भ्राएगा तब देख लेंगे। पहले इसको तो लेते जाइए।

श्री सिकन्दर बक्त : हम तो इकट्ठा मान नोंगे साहब, क्यों इतनी वरिजश कर रहे हैं । उसमें तो इजःरों...... (व्यवधान)

المنفرى مىكنودىخت: بم تواكنها مان لينگے صاحب ـ كيوں اتني ووز ش كررہے

يس اسمين توبرارون • • • قد الالت،]

उपसमापति : राम रतन राम जी, जब क्लॉज बाई क्लॉज आएंगे, ग्रांपको हम एलाऊ कर देंगे।

भी राम रतन राम : क्लॉज बाई क्लॉज तो करना ही पड़ेगा झीर फिर हमें श्रमेंडमेंट देन: है ।

उपसभापति : क्लांज बाई क्लांज करें, में शुरु, से यही कह रही थी सिकन्दर बस्त साहब को, क्योंकि केसरी जी की तरफ से भी ग्रमेंडमेंट ग्राए हैं। वह क्लॉज बाई क्लॉज जाएंगे तो उस वक्त आप बोल दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो भापका व्यु पोइंट है।

भो सिकान्दर बस्त ्रं में सदा छ: बजे उठ जाऊंगः । पतः नहीं, रःत तमः **बैठना** प्रदेश: ।

उपसभापति : श्रगर प्रोपर्टी बचानी है ता ਵੈਨ भर जःइएगा. इसम कौन सी बङी व्यात है। I shall now put the motion moved by Shri Sitaram Kesri to vote. The question is;

"That the Bill to provide for the better administration of Wakfs and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration"

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN; I shall now fake up clause-by-clause consideration of the Bill. There are some amendments. But nobody is moving them.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill,

/ RAJYA SABHA J

Clause 9 (Establishment and constitution of Central Wakf Council)

THE DEPUTY CHAIRMAN; I will now put clause 9 to vote. There is one amendment by Mr. Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move;

"That at page 6, *for* lines 41 to 43 the following be substituted namely: —

- *2. The Council shall consist of,—
- (a) the Union Minister in charge of wakfs —ex-officio Chairperson.;
- (to) the following members to be appointed by the Central Government from amongst Muslims, namely:
 - (i) three persons to represent Muslim organisations having all-India character and national importance;
- (ii) four persons of national eminence, of whom two shall be from amongst persons having administrative and financial expertise;
- (iii) three Members of Parliament, of whom two shall be from the House of the People and one from the Council of States:
- (iv) chairpersons of three Boards by rotation;
- (v) two persons who have been Judges of the Supreme Court or a High Court;
- (vi) one advocate of national eminence;
- (vii) one person to represent the mutawallis of the wakfs having a gross annual income of rupees five lakhs and above:
- (viii) three persons who are aminwnent scholars in Muslim Law."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clauses 10 to 13 were added to the Bill

Clause 14—Composition of Board

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments, Nos. 4 and 5 by the Minister.

SHRI SITARAM KESRI; Madam, beg to move:

"That at page 9 for lines 17 to 19, the following be *substituted*,, namely:—

"section (1), the ex-Muslim Members of Parliament, the State Legislature or ex-member of the State Bar Council, as the ease may be, shall constitute the electoral college."

Madam, I also beg to move:

"That at Page 9, *for* lines 20 and 27, the following be *substituted*, namely: —

"(4) The number of elected members of the Board shall at, all times, be more than the nominated members of the Board except as provided under subsection (3)."

The questions Were put and the] motions were adopted. Clause 14, as amended, was added to to the Bill.

Clauses 15 to 19 were added to the Bill.

Clause 20 urns added to the Bill.

Clause 21 was added to the Bill,

Clauses 22 to 24 were added to the Bill.

Clause 25—Duties and powers of Chief Executive Officer

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment, No. 6 by the Minister.

SHRI SITARAM KESRI; Madam. I beg to move;

"That at page 12, line 4, *for* the words "sanctioned by the Muslim Law" the words "sanctioned by the school of Muslim law to which the wakf belongs" be *substituted*."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 25. as amended, was added to the Bill.

Clause 26—Powers of Chief Executive Officer in respect of orders or resolutions of Board

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment, No. 7, by the Minister.

SH

RI SITARAM KESRI; Madam, I beg to move:

"That at page 12, lines 21 and 22, for the words "if there is no unanimity at the stage of re-con-sideration the words "if such order or resolution is not confirmed by a majority of vote of the members present and voting after such reconsideration" be substitu-led."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 26. os amended, was added to the Bill.

Clause 27 was, added to the Bill.

Clause 28 — Chief Executive Officer to exercise powers through Collectors, etc.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment. No. 8. by the Minister.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

Bill, 1993

"That at page 12. line 32, *after the* words "under this Act" the words "with the previous approval of the Board" be inserted."

The question was put and the motion wan adopted.

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

Clause 29 was added to the Bill... Clauses 30 and 31 were added to the Bill.

Clause 32—Powers and functions of the Board.

THE DEPUTY CHAIRMAN; There are some amendments by Shri Sitaram Kesri and Shri Ram Ratan Ram.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 13, for line 33 following be substituted, namely:-

sanctioned by the school of Muslim law to which the wakf belongs."

The question was put and the motions were adopted.

SHRI RAM RATAN RAM; Madam, I beg to move:

(45) "That at page 1. line 32, *after* the words:—

"concerned wakf" the words "if considered by the Board to be capable to manage such properties to its satisfaction" be inserted."

(46) "That at page 15, after line 32. the following *be inserted*, namely:—

- " (7) where the Muttawalli is not willing or is not capable of managing the Wakf properties referred to in sub-clause
- (6) to the satisfaction of Board, the Board may appoint any person to act as Mutawalli for such period and on such conditions as it may think fit".

The questions were proposed.

6 P.M.

श्री सिकासर बरत : नहीं, क्या हम लोग यहां से जाएं, झगर इसी तरीके से करना है तो ?

उपसभापति : नहीं, वह अब हो गया है ।

क्यों सिमान्द्रए बस्त : क्या हो गया है ?

श्री पास पतन राम । 32 के बारे में कुछ कहना चाहता है ।

उपसभापति : ग्राप बोलेंगे, मैं ग्रापको बुलवाती हूं । ग्राप बोलिए । रहमान खान का तो ग्राएगा नहीं । अब ग्राप बोलिए ग्रपने ग्रामेंडमेंट पर । ग्रापका ग्रामेंडमेंट है, ग्राप बोलिए । मैं न थोड़ा ही बोल रही हूं ग्रापको ।

श्री राम रसन राम : क्लॉज 32 के पैरा 6 में लिखा है कि आपटर प्राल दी एक्सपेंसिज, इसका वंकप्राउंड यह है कि अगर मुतवत्ली ग्रीर चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई कंस्ट्रकान करना चाहता है किसी जमीन पर, वक्फ की जमीन पर कोई डक्लपमेंट करना चाहता है ग्रीर ग्रगर मुतवल्ली एशीएबल नहीं होता है तो चीफ एक्जीक्यूटिव ग्राफिसर ग्रपनी कार्यवाही करने के बाद उसकी डैक्लप करेगा। यह प्रोविजन दिया गया है कि डैक्लप करेगे उह क्षीवर कर देगा। इमारा प्रमन इसमें यह श्रा उस मुतवल्ली की क्यों करेंगे जब कि

वह शुरू से ही ऋषीज कर रहा है। इसलिए दूसरे को दिया जाए। इसमें यह लिखा है कि

"If considered by the Board to be capable of managing such property to its satisfaction." This is the amendment which I am moving. Such Mutawalli should not be handed over the property developed by the Chief Executive Officer.

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम वजन है इसमें क्योंकि मृतवल्ली इसे बरावर प्रपोज कर रहा है ।

श्री राघब, जी (मध्य प्रदेश) : मिनिस्टर माहब, ग्राप इसकी मान लें।

श्री गोविन्द राम निरी (मध्य प्रदेश) : बहुत इम्पॉटट है यह। जो विरोध कर रहा है, उसी को वापिस देना, कोई तुक नहीं है।

श्री सीता राम कैसरी: महोदया, में माननीय सदस्य जी को यह कहन जाहता हूं कि जब कभी डिसप्यूट होता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल है श्रीर बोर्ड भी है। इसीलए डिसप्यूट को सैटल करेगा, ट्रिब्यूनल या बोर्ड। इसलिए I request you to withdraw your amendment.

भी संघ प्रिय गौतमः विसय्यूट की नौबत ग्राए ही क्यों, लिटीगशन तक नौबत पहुंचे ही क्यों ?

Why can't you avoid the litigation?

श्री सीताराम केसरी : मेरा मतलब यह है बि: एक प्रावधान रहता है और इसीलिए बोर्ड जो होता है या जो उसमें ट्रिब्यूनल है तो जो डिमापूट हुआ, उसी को सैटल करने के लिए ट्रिब्यूनल और बोर्ड है। तो मेरा आपसे कहना है कि डिसप्यूट हो ही नहीं, यह तो हर चीज में कहना मुश्किल है, चाहे कितना हो बड़ा कुछ बना दीजिए। इसीलिए ट्रिब्यूनल और बोर्ड हैं।

श्री संघ प्रियं गीतमः मडम, सौ फीसदी इनवस्टीनेशनः को म.ना कप्ता है । एग्जीक्यटिव ऑफसर कहता है कि

"I will not investigate this matter." And if that matter is handed over again to the same investigating officer, then what would be the fate of the case? A mutawalli is opposing all through the development of a site and after the development if that very site is handed over to the Mutawalli, what would be the fate of that site? What is the logic behind it? ... (Interruptions) ...

SHRI RAM RATAN RAM; Madam, I would like to read para 5 of clause 32 for proper appreciation of my amendment. It states:

"...the Board, if it is satisfied the muttawalli is that not willing is not capable of exelcuting the executed in works required to be terms of the notice, it may, with the prior approval of the Govern ment. take over the property, clear building or structure theit of any r-on, which, in the opinion of the Board is necessary for execution of works and execute such works from wakf funds or from the finan ces which may be raised the on security ot of the properties the wakf concerned. control and and man age the properties till such time as all expenses incurred by the Board under this section, together thereon, the with interest expendi maintenance of such works ture on and other legitimate charges curred on the property are recov ered from the derived income from property." the These are the actions to be taken. Then, Madam, after completing all these works, the entire thing should be handed over to the same mutawalli. My objection is to that.

SHRI K. RAHMAN: If the muttawalli says that he is not capable of developing and he is not developing .. (*Interruptions*)... he is not wil-

ling to develop, then the Wakf Board will take the property and develop-lop. The question here is that the Wakf Heard cannot retain the property under the law because the Wakf Board cannot be a muttawalli. Only muttawali can retain the property. The Wakf Board Act itself nowhere defines this... (Interruptions)... The Wakf Board has a right to appoint different muttawali. The Wakf Board itself by law cannot be the owner of any property... (Interruptions)... The Wakf Board cannot be assigned the role of a muttwali. The removal of muttawalli is also defined. You cannot justify it because he is opposing it. ... (Interruptions) ... The Act has to define as to how a muttawali has to be removed ... (Interruptions)... That has to be there. That is a legal provision •

THE DEPUTY CHAIRMAN: Because muttawalli is coming from generation after generation. That is the problem or that is the procedure.

वाकिफ के, जिसने वक्फ किया है प्रोपर्टी को, जिसके नाम पर वक्फ होता है वह नसलन दोता है। उसके बच्चे फिर उसके बच्चे, मुनबल्ली होते हैं। तो दूसरे प्रादमी को कसे करेंगे। ग्रगर प्राप कहिं प्राप्ती वक्फ करेंगे तो ग्राप कहेंगे कि यह वह वक्फ श्रलत श्रीलाद है तो उसकी मुनाबल्ली फलां फलां होंगे। तो उनसे हो सकता है। ग्राप मुझको थोड़ा ग्रज्वाइंट कर देंगे।

SHRI RAM RATAN RAM; I am not pressing my amendments. The amendment (Nos. 45 & 46) were by leave," withdrawan. Clause 32, a\$ amended, was added to the Bill

Clause 33 was added to the Bill,

Clauses 34 and 35 were added to the Bill.

Clause 36 (Registration)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 19, *after* line 13, the following proviso be *inserted*, *n*amely: —

"Provided that where there is no board at the time of creation of a wakf, such application will be made within three months from the date of establishment of the Board".

The question was put and the motion, was adopted.

Clause 36, as amended, was added to the Bill.

Clauses 37 to 39 were added to the *Bill*

Clause 40 (Decision if a property is wakf property)

THE DEPUTY CHAIHMAN: There is one amendment by Shri Sitaram Kesri. if

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move;

"That at page 21, *for* lines 31 to 34 the following be *substituted*, namely: —

or whether a wakf is a sunni wakf or a shia wakf it may, after making such inquiry as it may deem fit, decide the question.

(2) The decision of the Board on a question under sub-section (1) shall unless revoked or modified by the Tribunal, be final"

The question was put and the motion was, adopted

Clause 40, as amended, was added to the *Bill*

Clauses 41 to 43 were added to the Bill.

) Clause 44 (Budget)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 22, lines 30 to 39 *for* clause 14 the following be *substituted*, namely: —

44(1) Every mutawalli of a wakf shall, in every year prepare, in such form and at such time as may be". *The question was Put and the motion* was adopted. Clause 44, *as amended, was added* to *the Bill.*Clauses 45 and 46 were added to the Bill.

Clause 47— (Audit of account of wakfs.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two (amendments to this clause— Nos. 13 and 14, by Shri Sitaram Kesri.

श्री संघ प्रिय गौतमः इनके तो सारे अमेंडमेंट ही अमेंडमेंट है।

उपसभापति ¿ वह आपकी बात पहलें से भान रहें है।

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 23, line 43., *for* the words "five thousand rupees" the words "ten thousand rupees" be *substituted*."

That at page 24 for lines 1 to 18, the following be substituted Hamely: —

"(b) the accounts of the wakf having net annual income exceeding ten thousand rupees shall be audited annually or at such other intervals as may be prescribed, by an auditor appointed by the Board from out of the penal of (auditors prepared by the State Government and while drawing up such panel of auditors; the State Government shall specify the scale of remunera-

tion of auditors; (c) the State Government may, at |any time cause the account of any wakf audited by the State Examiner of Local Funds or by any other officer designated for that purpose by that State Government.

The question was put and the motions were adopted.

Clause 47, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is having an open mind on the Bill. He himself thought and he got the amendment. Whatever he can do, he can do. He cannot change the Wakf Mutawalli. It is beyond him.

Clauses 48 to 50 were added to the Bill.

Clause 51 —(Alienation of Wakf property without sanction of Board to be void.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment to this clause— No. 15 by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 25 *after* line 44 the following proviso be inserted, namely: —

Provided that no mosque, dar-gah or khanqah shall be gifted, sold, exchanged Dr mortgaged except in accordance with any law for the time being in force."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 51, as amended, was added to the Bill.

Clauses 52 to 55 were added to the Bill.

Clause 56—Restriction on Power to grant clease\ of Wakf property.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I will cake up Clause 56.

There is one amendment to this clause—No. 27, by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Madam, I endorse the wishes of the Minister. I will not press it, but I request him to reconsider it. There is a technical mistake. If this clause is not amended the Wakf Board, after the development of the property also, you, cannot lease for more than three years which is difficult; it is technical. I appeal to the Minister to reconsider it, not necessarily now. I will not press it now. I request the Minister to keep it in view.

उपसभापित : केसरी जी, आप ध्यान रिखयेगा । मूज नहीं कर रहे हैं । आप जरा ठीक से समझा दीजयेगा कि क्या टेक्नीकल डिफिकल्टी आ रही है । काफी मेहनत की हैं इन्होंने और राम रतन राम जी ने भी । रहमान और राम का आप जरा शुक्रिया श्रदा कर दीजियेगा ।

Clause 56 was added to the BHU.

Clauses 57 to 63 were added to the Bill.

Clause 64—(Removal of Mutawalli.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There *is* one amendment to this clause— 16, by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESHI: Madam, I beg to move:

That at page 31 *after* line 36 the following be *inserted* namely:—

"(k) misappropriates or fra-dulently deals with the property of the wakf."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 64, as amended, was added to to the Bill.

Clause 65, was added to the Bill.

Clause 66—{Powers, of appointment and removal of Mutawalli when to be exercised by the State Government).

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment to this clause— No. 17, by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, . beg to move:

"That at page 33, *after* line 30 the following proviso be *inserted*, namely:—

Provided that where a Board has been established, the State Government shall consult the Board before exercising such powers."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 66, as amended, was added to the Bill

Clauses 07 to 75 were added to the Bill.

Clause 76— (Mutawialli not to lend' or borrow moneys without sanction.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments to this clause— Nos. 18 and 19, by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move;

"That at Page 40, line 35, the words "Notwithstanding anything contained in a deed of wakf" be *deleted.*"

I also move:

"That at page 40, *after* line 39, the following proviso be *inserted*, namely:—

"Provided that no such sanction is necessary if there is an express provision in the deed of wakf for such borrowing or lending, as the case may be.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 76, as amended, was added to the Bill.

Clause 77—(Wakf Fund)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments to this clause— No. 20, by Shri Sitaram Kesri, and No. 28, by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Madam, I am not moving my amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you can move your amendment.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 41, *after* line 32, the following be inserted namely: —

(f) payment of all expenses incurred by the Board for the discharge of any obligation imposed on it by or under any law for the time being in force."

Thg question was PM and the motion was adopted.

Clause 77 as amended, was added to the Bill.

Clauses 78 to 82 were added to the Bill.

Clause 83—(Constitution of Tribunals, etc.)

THE DEPUTY CHAIRMAN; There is one amendment, No. 29, by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN: dam, I am not moving my amend ment. But I have a request to make to the hon. Minister. I have sugges ted in this amendment that instead one member. everv Tribunal of should consist of three members. the This is very essential for sake proper administration the of is why I have wakfs. That suggested here that every Tribunal should consist of three members, instead of one. Only then it would help in the Wakf administration. Therefore, J would appeal to the hon. Minister to reconsider it. I hope he would do it. In that spirit, I am not moving my amendment.

SHRI SITARAM KESRI: I assure you. After consultations, I will do it.

Clause 83 was added to the Bill.

Clause 84 was added to the Bill.

Clause 85—(Bar of jurisdiction of of civil courts.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment, No. 48, by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Madam, I am not moving my amendment.

Clause 85 was added to the Bill.

Clauses 86 to 98 were added to the Bill,

Clause 99—(Powers of revision of State Government.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments to this clause. No. 21, by Shri Sitaram Kesri, and No. 30 by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN; Madam I am not moving my ameanlns

THE DEPUTY CHAIRMAN; Mr. Minister, you can move your amendment.

SHRI SITARAM KESRI; Madam, I beg to move:

"That at page 48, lines 9 to 32, "clause 99" be deleted."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 99, as amended, was added to the Bill.

Clause 100—(Pbw(er to suplersed Board.)

THE DEPUTY CHAIRMAN; There are two amendments, Nos. 31 and 32, by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAMAN KHAN: Madam. moving my amendments. I am not However, I would like to make a point here. important This is very because the State Governments are bound to misuse this tiling. Once the Boards are superseded, would not reconstitute the Boards. This is because there is no time limit fixed here. The supersession can continue indefinitely. If they do not reconstitute the Boards, there is no provision in the Bill to make it incumbent on them to reconstitute the Boards within a certain period. In that case, the entire objective of the Bill would be defeated. Therefore, I would request the hon Minister. This is a discrepancy which should be rectified. The Boards can remain superseded for anindefinite period. When there is no Board, when there is no democratic body, the purpose of the Bill cannot be achieved. Therefore, this point should be considered. This amendment to clause 100 may not be necessary now, but later on, the Government should bring forward an amendment Otherwise, as I said, the entire objective of the Bill would be defeated.

THE DEPUTY CHAIRMAN': What is your amendment?

SHRI K. RAHMAN KHAN: My amendment is that if any State Government supersedes a Board, within one year, they should reconstitute the Board. The maximum time is one year. Within one year they should hold elections. I have suggest one year. Six months is even better.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Kesri jiwhy don't you concede this? I

think, we have agreed to everything you have brought. I think, this is a very valuable suggestion. (Interruptions)

SHRI SITARAM KESRI: It is a very good suggestion. I assure you that I will definitely consider this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you accept it, it can be put to vote now because the State Governments will be beyond your jurisdiction, and they will do what they like. It is better that we put it to vote now. You know how the State Governments are acting. You know it, I know is and everybody else knows it.

श्री सीताशम केसरी: स्पोज कीजिए कि कहां पर स्टेट गवर्नमेंट ... (स्यवधान) मान लीजिए वहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है प्रेसीडेंट रूल है तो टाइम लग जाता है जेसे कि ब्रदर स्टेट्स में होता है (स्यवधान) मगर सुनए वह बोर्ड को स्परसीड क्यों करेगा, यह सीचने की बात है?

It is constituted by the people. Es-pecially, it consists of Members of Parliament of both the Houses or the State Assemblies and other representatives. There is no question of superseding the Board. In case it comes, definitely, I think there should be a tenure for the Board.

तो अगर आप समझते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है।

THE DEPUTY CHAIRMAN-. I think, Kesriji, everybody feels that way. You put some time-limit; as you feel, six months or one year because even under the President's Rule a Board can be constituted. The law is enacted by Parliament. "What is there in a Board?

नहीं तो फिर रहने दीजिए 1..... (व्यवधान)

उपसमापति : ठीक है, कोई बात नहीं ...(व्यवधान) ग्राप ही अमेंडमेंट कर दीजिए।

You move an amendment for having a timelimit of six months. Then, when you go to the Lok Sabha, you formulate it properly, but you insert that it would be reconstituted within six months. If it is superseded, then, within six months....

SHRI SITARAM KESRI: In case it is superseded, then, it will be reconstituted. You look into this.

THE DEPUTY CHAIRMAN; It is like this:

That at page 48, lines 42 and 43 *for* the words "such period as may be specified in the notification" the words "a period not exceeding six months" be *substituted*.

Is it okay?

SHRI SITARAM KESRI: Yes. Madam, I move;

Α

"That at page 48, lines 42 and 43 *for* the words "such period as may be specified in the notification" the words "a period not exceeding six months" be *substituted*.

The question was put and the motion was, adopted.

Cl

ause 100 as amended, was added to the Bill.

ТН

E DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Thank you very much.

I could have moved it from the Chair also because I am a Member of this House. (Interruptions)

Clauses 101 to 107 were added to the Bill.

Clause 108 (period of limitation for recovery of Wakf properties)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall take up clause 108. There are two amendments, 49 and 50, by Shri Ram Ratan Ram.

त्राप अमेंडमेंट पर बोल दीजिए।

श्री राम पतन राम: मैंडम, यह श्राखिरी अमेंडमेंट है और मैं केसरी जी से निवेदन करूंगा . . (व्यवधान) जरा इवर भी ध्यान दें। . . . (व्यवधान)

उपसभापति : मि० ग्रफजल ।

श्री राम रतन राम: माननीय केसरी जी से मेरा निवेदन है कि .. (श्रवधान) इसमें लिभिटेशन की बात है, 30 साल का लिभिटेशन क्यों दिया है ? होता क्या है कि गरीब प्रादमी एक तरह से पचासों साल से उस पर काबिज है प्रगर उस पर तीस साल का ही लिभिटेशन रखेंगे तो फिर बहुत परेशानी होगी इसीलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि.

the period of limitation should not apply.

ग्रगर केसरी साहब इसकार भी देख ल जैसे रहमान जी की बा को उन्होंने एमोबर किया है तो राम की भी बात थोड़ी सी मान लें। इसमें गरीब का ही भला होगा, मैं गरीबों की ही बात करता हूं।

उपसभापति : गरीब की क्या बात है? ...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, ऐसा है कि
प्रगर किसी का नाजायज कब्जा 12 साल
तक है वक्फ की प्रापर्टी पर तब तो है,
प्रगर ज्यादा का है तो उस पर बेदखली
की कार्मवाही नहीं होगी । ग्रव इन्होंने
तीस साल कर दिया है । भ्रापका कहना
यह है कि वक्फ की प्रापर्टी पर ऐडवर्स
पजेशन की मियाद नहीं होनी चाहिए ।
बाहे उसका 20 साल, 30 साल या 40
साल से कब्जा हो "ही कैन वी एविक्टेड" ।
उसमें लिमिटेशन का पीरियड नहीं होना
चाहिए । महोदया, मैं ग्राप को एक
उदाहरण देता हूं । यू०पी० पंचायत राज

ऐक्ट में भी पहले 12 साल का प्रोवीजन या, फिर उसकी 30 साल किया गया श्रीर बाद में श्रन-लिमिटेड कर दिया गया क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि समाज की जमीन परकब्जा कर लिया है और गरीबों के लिए मकान बनाने की ग्रीर जो दूसरी कल्याणकारी योजनाएं हैं, वह सब फेल हो जाएंगी। चुंकि यह वक्फ को प्रापर्टी गरीबों के लिए है ग्रीर गरीबों के लिए श्रगर कोई उस पर चीज वनानी है क्रोर किसी अप्योर ने फैक्ट्री लगाली है 50 साल से वक्फ की प्रापर्टी पर तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। श्राप की मंशा यह है। इसलिए वह चाहते हैं कि इसे मांन लिया जाय ।

श्री गोविन्दराम मिरी: मैडम, यह बहुत श्रन्छ। सुझाव है, इतको मान लिया जाये।

उपसभापति: केसरी जी, इनका कहना यह है कि मान लीजिए वक्फ की कोई प्रापर्टी है और जैस:कि अफजल साहब ने उदाहरण दिया कि क्क्फ की प्रापर्टी पर कोई फाइव स्टार होटल बन गया । बहरहाल वह यह कह रहे थे कि ग्रगर कोई 12 साल या 30 साल का वक्फ की प्रापर्टी पर कब्जा हो गया फिर वह सी साल का वस्फ है तो भी वक्फ ही रहा श्रीर कोई उसके उत्पर यदि कब्जा कर ले तेः वह कब्जा नहीं माना जाएगा । कोई प्रायवेट प्रापर्टी होती है तो उस पर इस तरह का कानून लागु होता है लेकिन जैसे कि कोई मंदिर होता है, मस्जिद होती है या गुरुद्वारा होता है, वह चाहे सी साल पुराना हो या एक साल पुराना हो, उसकी जगह वही रहती है । तो जिस ब्रादमी ने वक्फ किया है प्रापर्टी को तो उसकी वाकिफ की वह रहती है। इसलिए ग्राप इसकी कोई लिमिट न लगाइए। सब कह देंगे कि हम सौ साल से हैं और उसका वह बताएंगे नहीं ।

श्री सीताराम केसरी: मैडम, एक चीज है। जो बात ग्राप कह रही है ग्रीर जो हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए, हम सब लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है ग्रीर रेंट कंद्रोल के श्रंतर्गत हम इस चीज को चाहते ये कि वह शाए । चूकि मेरे विभाग से यह संबंधित नहीं होता, इसलिए हमने 30 साल का रखा था । मगर जब श्रापकी राथ है, चैयर की राज है तो हम अपनी ही तरफ से इस चीज को मुख कर देते हैं ।

उपसभापति : बहुत ग्रन्छे केसरी जी। ग्राप को बहुत-बहुत बधाई, मुबारकबाद ।

श्री राम रतन राम : बधाई हा। स्राप ने राम स्रौर रहमान दोनों की बात मान ली।

श्री संघ प्रिय गौतमः : थैंक्स टूचेयर ।

श्री राम रतन राम : थैंक्स टू चेयर ।

उपसमापति: चैयर का तो यह काम ही है, लेकिन अगर यह 12 बजे ही जाया कर तो बहुत खुशी की बात है। फेग एण्ड श्रॉफ द डे तो वैसे भी हो जाता है। केसरी जी, श्राप श्रमेंडमेंट को बराबं: इाफ्ट कर लीजिए।

SHRI SITARAM KESRI; Madam, I move:

"That at page 51, line 29 after the word 'shall' the words 'not apply' be inserted."

"That at page 51, lines 29 to 31,' the words 'be a period of thirty years and such period shall begin to run when the possession of the defendant becomes adverse to the plaintiff' be *delted.*"

The question was put and the motion was adopted...

Clause 108, as amended; was added to the Bill.

Clauses 109 to 114 were added to the Bill

Clause 1 Short title, extent and commen cement.

SHRI SITARAM KESRI; I move:

"That at page 1, line; 5, for the figure 1993' the figure "1995" be *substituted.*"

The question was Put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE ENACTING FORMULA

SHRI SITARAM KESRI; Madam, I move:

"That at page 1, line 1, for the "word "Forty-fourth" the word "Forty-sixth" be *substituted*"

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula' as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I move;

"That the Bill, as amended, be palssed."

The question was put and the motion was adopted.

SHRI M. A. BABY: Madam, we not only congratulate Shri Sitaram Kesriji but you also for having helped in the smooth passage of the Bill. Apart from this, we congratulate the entire House.

THE DEPUTY CHAIRMAN-. Thank you very muh. It has always been my duty to pass every piece of legislation. With this particular legislation, I was involved.

उपसमापति : मैडम, अधका तो इसमें बहुत मुख्य वार्ट रहा है । . . (व्यवधान) SHRI K. RAHMAN KHAN: Madam. I congratulate the hon. Minister and the entire House for having the Bill passed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Kesri ji, thank you for accepting two amendments one from the Left and the other from right, one from Rahim and , the other from Ram and both coming together from the Chair.

SHRI SITARAM KESRI: Madam. will arrange to send the amendments to the office.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Yes. please send the amendments to the office.

THE DEPUTY CHAIRMAN: On this good note... (Interruptions)

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Madam, you are in high spirits.

श्री पाम रतन पाम : माननीय उपसभापति, जी, में अध्यको, माननीय केसरी जी को रहमान साहय को और सपन को बहन बहन बधाई देता है।

्षसमापति । अगला ंग्रल असम यूनिवसिटी का है। विष्णु कान्त जी. इसको विदआऊट डिसक्शन धास कर दें

भ्यो **विष्णुका**न्त सास्त्री (**५५१४ प्रदे**श)ः मही, मैडम, मैं इत्तं पर कुछ कहना भाहगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We sat through lunch hour also.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL. PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS V SHRI MATI MARGARET ALVA): Madam, this was the decision taken in the B.A.C

़ (**ध्यवधान**).. केवल पांच मिनट में खत्म हो जाएगा।

ज्यसभापति : बिष्धे कान्त जी, आप समर्थन कर दे तो बगैर डिसक्शन के पास कर देते हैं ।

श्री विष्णु काल शास्त्री: माननीया, मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक वात का आश्वासन चाहता हूं। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा, इसमें सारे हिन्दुस्तान में वय्चे वहां भरती हो सकेंगे, तो हमें कोई एतराज नहीं है।

THE ASSAM UNIVERSITY (AMEND-MENI) BILL, 1994

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA): Madam Deputy Chairman, I move;

"That the Bill to amend the Assam University Act, 1989, be taken into consideration." The question *was* proposed.

उपसमापति । शास्त्री जी पृष्ठ रहे है कि सारे हिन्दुस्तान के लोग इसमें आएंगे ?

्रभारी शैलका : जी, मैडम । यह सेट्रस पृतिवसिटी है और इसमें आल ओवर इंडिया से लोग आ सकते है ।

उपसमायति : चर्ना, आध्वासन हो गयः ।

The question is:

"That the Bill to amend the Assam University Act, 1989, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN; We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill. Clause 1-Short title

KUMARI SELJA; Madam, I move;

"That at page 1, line 4, *for* the figure "1994" the figure "1995" *be substituted.*"

The question was put and the motion was adopted

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended was added to the Bill.

THE ENACTING FORMULA ...